

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021—अग्रहायण 5, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2021

क्र. 1365-325-2021-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 25 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2021 तक, कुल आठ दिवस के उपभोग करने हेतु अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्र. एफ 9-1-2010-पचास-1.—मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राज्य सरकार, एतद्वारा श्री ब्रजेश चौहान की मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से अस्थायी रूप से आगामी आदेशपर्यन्त वृद्धि करता है.

क्र. एफ 9-1-2010-पचास-1.—मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री द्रविंद्र मोरे की मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से अस्थायी रूप से आगामी आदेशपर्यन्त वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2021

क्र. एफ 1(ए)18-2015-ब-2-दो.— राज्य शासन, श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल को दिनांक 10 से 29 जनवरी 2022 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09 जनवरी 2022 व दिनांक 30 जनवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर.आर.एस. परिहार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (मुख्यालय), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 156-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल और युवा कल्याण, संचालनालय, टी. टी. नगर, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष-2021 में दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2021 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 19, 20 व 21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित (अण्डमान-निकोबार) की भ्रमण यात्रा

पर जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| 1. डॉ. रवि कुमार गुप्ता, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती रचना गुप्ता | — | पत्नी, |
| 3. सुश्री पलक गुप्ता | — | पुत्री, |
| 4. श्री सिद्धांत गुप्ता | — | पुत्र |

(2) अवकाश अवधि में डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, संचालक खेल और युवा कल्याण, संचालनालय का अतिरिक्त कार्य प्रभार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल और युवा कल्याण, संचालनालय, टी. टी. नगर, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. रवि कुमार गुप्ता भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

पंजी. क्र. 3634-2021-इक्कीस-ब(दो).— राज्यशासन, एतद्द्वारा, जिला-मुख्यालय, रीवा में विभागीय आदेश दिनांक 9 अगस्त 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री विष्णु कुमार शुक्ला तथा विभागीय आदेश दिनांक 6 जून 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जयदेव प्रसाद द्विवेदी एवं श्री रामाश्रय चतुर्वेदी का निधन होने के कारण उक्त तीनों नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 3686-2021-इक्कीस-ब(दो).— राज्यशासन, एतद्द्वारा, जिला-मुख्यालय, जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 28 मार्च 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री प्रकाश कुमार निगम एवं तहसील-सिहोरा, जिला-जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 27 मई 1981 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री मदनमोहन ब्यौहार का निधन होने के कारण उक्त 02 नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 3687-2021-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला-मुख्यालय, विदिशा में विभागीय आदेश दिनांक 23 मई 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री दिनेश मिश्रा का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वैभव विकास शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

फा. क्र. 4215-इक्कीस-ब(एक).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश के परामर्श से श्री राजीव कुमार करमहे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल

को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सदस्य-सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

F. No. 4215-XXI-B-(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Rajeev Kumar Karmahe, Principal Judge, Family Court, Betul as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ-3-105-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3609-टी सी-54-उपा-नगानि-भोपाल-2021, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोटरा सुल्तानाबाद	112	0.862 में से 0.136 हेक्टेयर.	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएँ.	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
2	शहर भोपाल	1418	7.960 में से 1.280	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएँ.	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

योग : 1.416

नोट:—प्रश्नाधीन स्थल नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अधीन ग्राह्य सूचना दिनांक 21 अगस्त 2020 में भूखण्ड क्रमांक-58 के रूप में दर्शित है.

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2021

क्र. एफ-3-100-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत धार निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है, पूर्व गठित पन्ना निवेश क्षेत्र में नवीन 14 ग्रामों को सम्मिलित करते हुये निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

धार निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में:—ग्राम नवगांव बुर्जुंग, खिलचीपुरा, तोरनोद, जैतपुरा, उटावाद एवं नियामतखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.

पश्चिम में:—ग्राम चिकलिया, तिरला, माफीपुरा एवं मूसापुरा की दक्षिणी सीमा तक.

दक्षिण में:—ग्राम मूसापुरा हिम्मतगढ़, सीतापट, पडल्या, बागडिया एवं धरावरा की पूर्वी सीमा तक.

पूर्व में:—ग्राम बगाडिया, धरावरा, बगड़ीतुर्क, उतरसी, उटावद एवं निमामतखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास-शाजापुर मध्यप्रदेश
हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास

देवास, दिनांक 17 नवम्बर 2021

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्र. 2394-देवास-नगानि-2021.—देवास वर्धित निवेश क्षेत्र, के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अब, देवास वर्धित निवेश के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 26 नवम्बर 2021 से 03 दिसम्बर 2021 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी:—

- (1) जिला कलेक्टर, देवास
- (2) आयुक्त, नगरपालिका निगम, देवास
- (3) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास.

अनिता कुरोटे, उपसंचालक.

कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2021

क्र. एफ-1-5-17-रा.स.-यू.ए. 1-1189.—आदेश क्र. एफ-1-5-17-रा.स.-यू.ए. 1-1296, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 के द्वारा प्रो. नरेश चन्द्र गौतम को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष की कालावधि के लिये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का कुलपति नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2017 को कुलपति पद का पदभार ग्रहण किया गया। इनका 04 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 19 नवम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है एवं विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है।

2. अतः, प्रो. नरेश चन्द्र गौतम नये कुलपति की नियुक्ति होने एवं उनके पदभार ग्रहण करने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति के पद पर कार्य करते रहेंगे। यह व्यवस्था 06 माह से अधिक के लिये नहीं होगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2021

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए. 5-2016-1187.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति द्वारा डॉ. डी. के. यादव, ए. डी. जी. (सीड्स) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है।

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021

शुद्धि-पत्र

क्र.-टी.डी.आर. 09-वि.यो.-नग्रां-2021.—क्रमांक 4760, भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2021 भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 9198-9199 में प्रकाशित उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना के अंतिम पैरा में—

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

के स्थान पर, टंकण त्रुटि होने के कारण शुद्धि-पत्र पुनः प्रकाशन

“मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा”. पढ़ा जावे.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

क्र. 7292-प्रवा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम उबरा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छोटे हुए आंशिक रकबों का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	उबरा	66.04	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3, देवलौंद जिला शहडोल मध्यप्रदेश.	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 7295-प्रवा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम खुटेश्वर की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छोटे हुए आंशिक रकबों का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	खुटेश्वर	32.01	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3, देवलौंद जिला शहडोल मध्यप्रदेश.	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा का (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. 7891-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत “छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना” बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.” अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-संगम, प.ह.नं.-04 ब.न.-537 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.	रकबा-81.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7892-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत “छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना” बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-बीजागोरा, प.ह.नं.-04 ब.न.-396 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.	रकबा-225.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7893-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत “छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना” बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.” अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-कोहट रैयत, प.ह.नं.-04 ब.न.-06 रा.नि.मं.-लावाघोघरी.	रकबा-45.511 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7894-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना" बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-भोयारी रैयत, प.ह.नं.-04 ब.न.-35 रा.नि.मं.-लावाघोघरी.	रकबा-249.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7895-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत “छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना” बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.” अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-कोहटमाल प.ह.नं.-04 ब.नं.-83 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.	रकबा-172.320 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7896-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत “छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना” बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.” अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-दीप, प.ह.नं.-04 ब.न.-367 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.	रकबा-83.360 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7897-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना" बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-टिकाडी, प.ह.नं.-04 ब.न.-215 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.	रकबा-46.476 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 अक्टूबर/नवम्बर 2021

क्र. 7964-भू-अर्जन-2021.—चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम चांद, प.ह.नं. 24, ब. न. 80, रा.नि.मं., चांद
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा 0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	205/3	0.092
2	569/1, 574/1	0.093
3	575/2	0.155

योग कुल रकबा . . 0.340

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्र. 1, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जूनी इन्दौर, इन्दौर दिनांक 1 नवम्बर 2021

क्र. 523-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-21-प्र.क्र 01-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार के द्वारा, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण के कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	जूनी इन्दौर	कैलोदहाला	0.289	उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर (म. प्र.).	इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर (म. प्र.) एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

क्र. 14-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(क्र. 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	गढ़ी	0.061	सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट.	ग्राम गढ़ी अनुसूचित जनजाति सिनीयर बालक छात्रावास के भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	भूमि का प्रकार	कुल अर्जित रकबा (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कमलिया बाई पति स्व. टेकसिंह (सहखातेदार शिमला बाई, उदयसिंह, पिता टेकसिंह) निवासी गढ़ी.	116/1	0.061	असिंचित	0.061
योग . .			<u>0.061</u>		<u>0.061</u>

- (2) चूंकि बालक छात्रावास भवन गढ़ी हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन) बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 15-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	बिठली	0.496	सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, बालाघाट.	ग्राम बिठली पुलिस चौकी बिठली थाना रूपझर का भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	भूमि का प्रकार	कुल अर्जित रकबा हे.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुधीर कुमार पिता शिखरचन्द जैन जाति जैन निवासी बालाघाट भूमिस्वामी (बिठली).	64/2, 65, 66	1.040	असिंचित	0.486
2	सुरेन्द्रसिंह व. चैनसिंह व. कौडू जाति गोंड सा. देह.	59/2	0.406	असिंचित	0.010
कुल योग . .			1.446	0.496	0.497

- (2) चूंकि पुलिस चौकी भवन बिठली हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन), बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बालाघाट, दिनांक 9 नवम्बर 2021

क्र. 30-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा विभाग के उपयोग हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	लालबर्गा	कनकी	रकबा 6.062 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी जिला बालाघाट.	36वीं वाहिनी विसबल, कनकी बालाघाट हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dmbalaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में देख सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

बालाघाट, दिनांक 9 नवम्बर 2021

सार्वजनिक सूचना (अन्तर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 (1))

क्र. 31-भू-अर्जन-0001 (अ-82)2020-21.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बेनी-साकडी-डांगोरली मार्ग में वैनागंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में पड़ने वाली निजी शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मौजा साकडी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
साकडी	1	राजेश, टेकचंद नानेश्वरी, कला, सैवंती वल्द नवल.	645/2	0.275	0.161	बेनी-साकडी-डांगोरली मार्ग में वैनागंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के मार्ग में पड़ने वाली निजी-शासकीय भूमि का अधिग्रहण.
	2	राजेश, टेकचंद वल्द नवल	645/3	0.162	0.089	
	3	तेजलाल, मालिक व. तिलक	646/1	0.352	0.160	
	4	कृपाल व. भीकूलाल	646/2	0.384	0.227	
	5	मालिक व. दंडु	648/1	0.142	0.142	
	6	तिलक व. दंडु	648/9	0.141	0.141	
	7	डोगरू व. माडु	630	0.575	0.053	
	8	येशलाल व. चिरामन	629/1-2	0.377	0.093	
	9	कान्हू व. हगरू	629/3	0.190	0.061	
	10	दीनदयाल व. भीकूलाल	649/1/2	0.381	0.109	
	11	देवीलाल व. संकेलाल	649/2	0.202	0.016	
		योग . .		3.181	1.252	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कुआ/नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं होगी.

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 8 नवम्बर 2021

प्र. क्र. 009, दिनांक 19 जून 2020.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को कराया गया था. भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 17 अप्रैल 2021 से 26 मई 2021 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था तथा इसके अतिरिक्त शासन आदेशानुसार कर्मचारी की उपस्थिति दिनांक 31 जुलाई 2021 तक 25 प्रतिशत निर्धारित की गई थी के कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने का कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.

अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
राजगढ़	जीरापुर	नभापुरा	9.063 हेक्टेयर	नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र में
राजगढ़	जीरापुर	मल्हारपुरा	11.936 हेक्टेयर	प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
		कुल योग . .	20.999 हेक्टेयर	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 11 नवम्बर 2021

भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—हरसूद
(ग) ग्राम—बडगांव रैयत
(घ) अर्जित रकबा—0.31 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
98/2	0.31
योग : <u>0.31</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम बडगांव रैयत (हरसूद) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 25 अक्टूबर 2021

पत्र क्र. 330-भू-अर्जन-2021.—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाईन (541 कि.मी.) निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:—

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
देवरा	रघुराजनगर	1.963
सरिसताल	रघुराजनगर	0.086

उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन ग्राम देवरा का दिनांक 16 जनवरी 2020 तथा ग्राम सरिसताल का 20 दिसम्बर 2019 को किया गया था, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है. इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रघुराजनगर, जिला सतना मध्यप्रदेश द्वारा अवार्ड पारित न हो पाने के कारण अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है. कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण उपरोक्त समय-सीमा अवार्ड पारित नहीं किया जा सका. स्थल का युक्ति-युक्ति सर्वेक्षण न हो पाने तथा कोविड-19 के लॉकडाउन होने के कारण अधिनिर्णय पारित नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रघुराजनगर द्वारा पुनः 01 वर्ष की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु ग्राम देवरा का दिनांक 16 जनवरी 2021 से तथा ग्राम सरिसताल का 20 दिसम्बर 2020 से 01 वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नसरुल्लागंज,
जिला सीहोर, मध्यप्रदेश**

सीहोर, दिनांक 30 सितम्बर 2021

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम 2012
की धारा 3 के अंतर्गत
नर्मदा घाटी विकास विभाग

प्र.क. 03..../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- **सेमलपानी कदीम** प.ह.नं. 32 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 03..../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.545 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.184 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-सेमलपानी कदीम प.ह.न. 32 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	514	0.005
2		510	0.002
3		511	0.003
4		478	0.002
5		477	0.005
6		462	0.003
7		456	0.014
8		459	0.010
9		464	0.007
10		465	0.005
11		467	0.005
12		468	0.004
13		455	0.002
14		451	0.010
15		442	0.004
16		443	0.010
17		426	0.002
18		425	0.002
19		526	0.011
20		523	0.012
21		530	0.016
22		548	0.008
23		545	0.009
24		550	0.009
25		556/2	0.014
26		490	0.003
27		412	0.004
28		490	0.002
29		565	0.013
30		564	0.009
31		563	0.012
32		557	0.005
33		558	0.006
34		560	0.006
35		561	0.010
36		560	0.003
37		586	0.003
38		584	0.002
39		585	0.002
40		587	0.002
41		588	0.003
42		516	0.003
43		511	0.003

44		424	0.003
45		13	0.002
46		12	0.001
47		112/2	0.002
48		113	0.003
49		117	0.004
50		112/1	0.001
51		108	0.001
52		107	0.001
53		106	0.001
54		105	0.001
55		18/2	0.005
56		104	0.001
57		101	0.003
58		99	0.001
59		98	0.001
60		97	0.001
61		301	0.008
62		387	0.005
63		386	0.005
64		384	0.001
65		336	0.002
66		381	0.009
67		364	0.001
68		365	0.001
69		369	0.007
70		399	0.002
71		398	0.002
72		155	0.002
73		156	0.002
74		183	0.005
75		180	0.001
76		199/1	0.002
77		198, 194	0.009
78		198/1	0.002
79		197/4	0.001
80		197/1	0.002
81		200	0.002
82		202	0.002
83		212	0.001
84		193	0.005
85		190	0.008
86		282	0.012
87		281	0.002
88		277	0.001
89		274	0.005
90		286	0.003
91		280	0.002
92		285	0.003
93		288/2	0.001
94		273	0.006

95		270	0.005
96		268	0.008
97		256	0.007
98		254	0.017
99		255	0.002
100		247	0.002
101		244	0.002
102		246	0.001
103		230	0.005
104		35	0.002
105		37	0.002
106		40	0.003
107		57	0.008
108		70	0.006
109		63	0.004
110		61	0.004
111		77	0.005
112		53	0.005
113		52	0.004
114		15	0.004
115		14	0.002
116		12	0.000
117		147	0.003
118		145	0.006
119		141	0.005
120		142	0.002
121		140	0.002
122		138	0.002
123		119	0.003
124		120	0.001
125		122	0.002
126		121	0.002
			0.545
	स.प्र. भासलन की भूमि का योग-		
1		460	0.003
2		469	0.029
3		472	0.013
4		438	0.004
5		450	0.009
6		448	0.003
7		461	0.006
8		427	0.019
9		453	0.004
10		521	0.003
11		535	0.020
12		532	0.016
13		534	0.010
14		547	0.004
15		102	0.001
16		95	0.003
17		388	0.0003
18		363	0.004
19		362	0.014
20		361	0.005
21		185	0.001
22		36	0.002
23		59	0.0004
24		62	0.003
25		46	0.005
26		10	0.003
			0.184

प्र.क. 04/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गोरखपुर प.ह.नं. 33 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 04/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.825 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.047 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- गोरखपुर प.ह.न.33 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	112/2/1	0.001
2		114/2/2	0.011
3		114/2/1क	0.026
4		115/1/1/2	0.014
5		115/1/2	0.002
6		270/1/1/2	0.026
7		119/1	0.028
8		120/1/1	0.027
9		139/1/1	0.019
10		269/2/2	0.014
11		121/1	0.008
12		121/2	0.009
13		122	0.012
14		134	0.013
15		143/2/1क	0.014
16		143/2/2/1क	0.002
17		143/2/2/2क	0.012
18		143/2/2/3क	0.006
19		128/3	0.006
20		142/1	0.005
21		143/2/3क	0.002
22		130/1/1,130/2/4,130/3/2/2	0.003
23		130/2/1क	0.003
24		130/2/1ख	0.003
25		130/13/1,130/3/2	0.008
26		301/109	0.002
27		105,106,107/1/1	0.002
28		98/2,99/2,98/1/2,100/1/2	0.002
29		101,103	0.002
30		46,47/1/3	0.001
31		299/46/2/4	0.001
32		45/2/1	0.004
33		49	0.002
34		50/1	0.025
35		86/2/1क	0.030
36		84/2/1ख	0.001
37		84/2/2क	0.001
38		89,90/2/2/1	0.007
39		93	0.002
40		93/102	0.004
41		133	0.006
42		134	0.004
43		305/289/138	0.004
44		289/137	0.001
45		139,153/1,140,298/140/1/1	0.004
46		303/138/1/2	0.005
47		303/138/1/1	0.000
48		139,153/1,140,298/140/2	0.002
49		130/1/1,130/2/2,130/3/2/1	0.004
50		153/2/3	0.031
51		284/139,139/2/1ख	0.019
52		139,284/139/2क	0.016
53		159	0.002

54		157,890,309/290/156क	0.011
55		156/2	0.018
56		156/1	0.018
57		83/2,155/1/1	0.015
58		302/174/2	0.004
59		176-177/3	0.004
60		180/3	0.003
61		186/1/4/1	0.002
62		186/1/3/घ	0.000
63		186/1/3/N	0.001
64		186/1/3/घ	0.001
65		186/2	0.000
66		175/1	0.002
67		186/1/4/1 (P)	0.001
68		185	0.004
69		181/1	0.001
70		181/2	0.004
71		180/1/1	0.004
72		176-177/1	0.004
73		175/2	0.001
74		179/1	0.002
75		166/2	0.007
76		166/3	0.002
77		310/77	0.027
78		82/1घ	0.006
79		163/1क	0.018
80		82/1/2घ	0.005
81		82/1/1घ	0.016
82		82/2/2	0.002
83		83/2,155/1/2	0.010
84		84/1/1	0.009
85		84/1/2	0.011
86		84/1/3	0.012
87		84/2/1क	0.000
88		84/1/4ग	0.005
89		84/1/4ख	0.001
90		84/1/4क	0.008
91		79/3	0.000
92		73	0.002
93		75	0.001
94		73,74/2/2	0.002
95		52/2/2/1	0.024
96		53/2/1	0.005
97		53/2/2	0.017
98		44/3	0.001
99		46,47/1/1	0.001
100		46,47/1/2	0.001
101		59	0.008
102		40/3/1	0.004
103		40/3/4	0.001
104		52/1/1/क	0.006
105		60/1/1	0.011
106		60/1/2	0.003
107		62	0.001
108		66	0.001
109		64/1,65,66,297/67/1/1क	0.002
110		32,35,37/1	0.003
111		40/1/3क	0.005
112		40/1/3ख/1	0.004
113		40/1/3ख/2	0.003
114		40/1/4	0.010
115		40/2/1	0.011
116		21	0.002
			0.825
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		117/1 (P)	0.018
2		117/2	0.013
3		269/2	0.011
4		123	0.002
5		135	0.004
			0.047

प्र.क. 05/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- **पांडागाव** प.ह.नं. 25 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 05/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.407 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.008 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-पांडागाव प.ह.न.25 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	32/2	0.005
2		25/1क.28/1क	0.001
3		29	0.004
4		29/2/3	0.002
5		41/2/1.47/2/1	0.003
6		41/2/2.47/2/2	0.001
7		13.55.122/13	0.001
8		12.59.151/59/1/2/2	0.001
9		5.6.145/6/1.145/6/2	0.002
10		5.6.145/6/1	0.026
11		5.6.145/6/1.145/6/2	0.021
12		145/6/1	0.012
13		145/6/2/1/2/1क	0.020
14		12.59.159/59/1/1/3/1	0.020
15		12.59.159/59/1/1/3/2	0.017
16		12.59.151/59/1/2/1/2	0.021
17		12.59.159/59/1/2/1/2	0.014
18		12.59.159/59/1/2/1/1/	0.010
19		13.55.122/13/7	0.004
20		57/1/1	0.002
21		58/3	0.001
22		144/58	0.002
23		152/59/1	0.002
24		153/58/1	0.000
25		153/58/2	0.001
26		13.55.122/13/3/1	0.001
27		13/55.122/13/3/2	0.002
28		13/55.122/13/4/2	0.025
29		13.55.122/13/5	0.048
30		41/1/1.47/1/1	0.002
31		41/1/2.47/1/2	0.026
32		42/2	0.001
33		42/3	0.034
34		42/4	0.002
35		44/1/2/1	0.001
36		45/2	0.001
37		46	0.003
38		53	0.002
39		147/56/क	0.001
40		57/2	0.002
41		58/1	0.002
42		63.64.81/1/1/क	0.004
43		136/63	0.002
45		152/89/1	0.001
46		138/82/1/1.142/81/1/1/1	0.003
47		63/2/1K/5.65/81/3.153/65/2	0.004
49		142/81/1	0.001
50		80/1ख	0.001
51		65.78/1/ख	0.005
52		66.67.68.1/ख	0.002
53		77/3/1क	0.003
54		77/3/1ख/1	0.003
55		77/3/1ख/2	0.002
56		77/3/1ख/3	0.001
57		77/3/1/ग/1	0.001
58		74.77/3/2/ग/3	0.008
59		75/1	0.003
60		77/2/क	0.008
61		77/2/ख	0.003
62		77/2/ग	0.002
63		77/1/1ख	0.003
			0.407
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		85	0.001
2		79/1/2	0.003
3		79/2	0.002
4		136/64	0.001
5		138/82/2	0.001
			0.008

प्र.क. ०६/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- सुकरवास प.ह.नं. 08 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. ०६/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.516 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.004 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- सुकरवास प.ह.न.08 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	257,266/2/2/2/2	0.001
2		267/2	0.001
3		267/3/2/2	0.004
4		223/2/4	0.003
5		262/1/2	0.016
6		262/2/5	0.017
7		257/2,266/1/2/2/2	0.011
8		255/2/1	0.003
9		257/1/1	0.003
10		257/1/2	0.002
11		249,251/1	0.002
12		234	0.001
13		90,231,234/2/3/1	0.001
14		235,236,237	0.020
15		260/2/2/1	0.009
16		260,261/1	0.010
17		226,227/1/3	0.002
18		260,261/2/1	0.009
19		260,261/2/2/1	0.003
20		262/1/1	0.012
21		184,190/2/3/3	0.012
22		190,184/3	0.025
23		184,190/1/2	0.002
24		179/2	0.013
25		188/1/2	0.010
26		189/1	0.002
27		184,190/4/1	0.005
28		184,190/4/2	0.004
29		184,190/4/3	0.004
30		184,190/4/4	0.004
31		184,190/4/5	0.004
32		191/2	0.007
33		226,227/2/1(P)	0.004
34		90/231/234/1/2/2	0.001
35		90,231,234/2/1/2	0.003
36		88/1/4	0.003
37		88/3/2	0.011
38		88/3/3	0.007
39		88/3/4	0.002
40		88/4/4	0.005
41		86/1/3	0.006
42		84, 277/84, 287/277/84/1/2	0.003
43		84, 277/84, 287/277/84/1/1	0.005
44		84,277/84,287/277/84/2/1	0.003
45		85,277/84/2/7,277/84/2	0.006
46		66,81/2/2	0.004
47		60/1/1/2	0.010
48		62,63,64/1/2	0.002
49		62,63,64/1/3	0.004
50		62,63,64/1/4	0.003
51		62,63,64/2/2	0.006
52		66,81	0.002
53		77/1/1ख	0.004

54		77/1/1/3	0.004
55		78,79,80/1/2	0.005
56		91/1	0.005
57		91/2	0.005
58		91/3/2	0.005
59		205/1/1	0.0003
60		206/2	0.004
61		202/2	0.012
62		205/2ख	0.003
63		191/1/1	0.011
64		191/1/2	0.014
65		191/3	0.006
66		192	0.001
67		193/1	0.006
68		179/1/6ख	0.002
69		179/1/9ख	0.007
70		179/1/10ख	0.002
71		282/173/3	0.001
72		176/3	0.001
73		178/2	0.003
74		179/1/1/1क	0.0004
75		179/1/1/3क	0.001
76		179/1/1ख	0.004
77		179/1/12ख	0.006
78		93,197/2क/1	0.001
79		93,197/2ख	0.003
80		55/1,56,68,70/1	0.002
81		55/1,56,68,70/6/2	0.002
82		55/1,56,68,70/2/1(P)	0.003
83		55/1,56,68,70/4/1	0.002
84		55/1,56,68,70/4/2	0.007
85		55/1,56,68,70/4/3	0.003
86		55/1,56,68,70/5/2/3	0.006
87		55/1,56,68,70/2/1(P)	0.003
88		52,284/52/3	0.001
89		55/1,56,68,70/1/3/1	0.005
90		55/1/5/1/1,56,56,68,70	0.001
91		55/1/5/2,56,68,70	0.003
92		60/1/1/1/1/2	0.004
93		117/1/1	0.003
94		118,120	0.001
95		159/2/1	0.002
96		163/1	0.002
97		163/2	0.002
98		165/1	0.001
99		165/2/1	0.002
100		178/1,2	0.002
101		175/1ख	0.001
102		12/4	0.001
103		274/140/2	0.001
104		12/2	0.002
105		12/3	0.009
106		275/139/2	0.001
107		140	0.004
108		274/140/1/1	0.004
109		274/140/1/2	0.004
110		6/3	0.001
111		15/1	0.001
112		7/1	0.003
113		12/1	0.001
			0.516
	म.प्र. भासलन की भूमि का योग-		
1		174	0.001
2		166/2	0.001
3		8	0.002
			0.004 हे.

प्र.क. ०७७/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम-बरखेड़ी प.ह.नं. 06 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

2. प्र.क. ०७७/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.184 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- बरखेड़ी प.ह.न. 06 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	97/49/1	0.006
2		73,74,75/2/3	0.001
3		21/2/2/1क	0.001
4		70,71,72/2/1	0.005
5		75	0.005
6		47/2/1,48/2/1,49/2/1,57/2/1,5 8/2/1	0.030
7		24/1/4,26/1/4	0.007
8		11/2	0.006
9		27	0.001
10		20/1/1क,99/20/1/1क,100/20/1 /1क	0.006
11		11/1	0.003
12		8/1/2	0.005
13		8/2	0.005
14		12/3,13/3	0.001
15		80/1	0.007
16		73,74,75/1/2	0.005
17		73,74,75/2/3	0.003
18		73,74,75/2/4	0.004
19		23/2/2	0.006
20		88	0.0007
21		90/1/1	0.003
22		90/2	0.003
23		75	0.009
24		47/1ग,48/1ग,49/1ग,57/1ग,58/1 ग	0.002
25		47/2/1,48/2/1,49/2/1,57/2/1,5 8/2/2	0.004
26		29/1/1/1	0.006
27		29/1/1/2	0.019
28		29/2/1	0.012
29		29/2/2	0.004
30		19/1/1	0.002
31		2/2	0.010
			0.184 हे.

प्र.क. १४.../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- **सीगांव** प.ह.नं. 20 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. १४.../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.555 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.089 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-सीगांव प.ह.न.20 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	297/1/3	0.003
2		297/1/1/1	0.005
3		294	0.006
4		294/2/2/1,295/2/2/1,297/2/2/1	0.006
5		297/2/1	0.008
6		290/2,292,292	0.003
7		192/2/1, 302/2/1, 303/2/1, 304/2/1	0.002
8		192/2/2, 302/2/2, 303/2/2, 304/2/2	0.001
9		196/2/1,195/2/1,194/2/1,187/2/1,189/2/1	0.019
10		196/2/2,195/2/2,194/2/2,187/2/2,189/2/2	0.003
11		306,307	0.013
12		308	0.008
13		310/2	0.035
14		316	0.045
15		157(P)	0.020
16		159/2/2	0.037
17		159/3/2(P)	0.026
18		159/2	0.009
19		151 (P)	0.004
20		153	0.027
21		167	0.003
22		169/2	0.001
23		169/3	0.002
24		155/1,166/1,174/1,175/1	0.008
25		169/1	0.002
26		284,285/2/2/2	0.001
27		273/1	0.003
28		273/2	0.002
29		266/4	0.002
30		230/2/4,231/1/2/4	0.004
31		231/1	0.003
32		285	0.005
33		265/2,267/2,231/2	0.004
34		274/3,275/1/3 (P)	0.002
35		276	0.006
36		277	0.002
37		278	0.005
38		269/1	0.003
39		272/1	0.002
40		272/2	0.003
41		275/1	0.001
42		290/1,293/2	0.004
43		187	0.009
44		200,201	0.004
45		280	0.003
46		123,124 (P)	0.007
47		158 (P)	0.012

48		159/1/1	0.001
49		159/1/2	0.003
50		127	0.000
51		133	0.003
52		135/1/1	0.035
53		135/1/2/3	0.005
54		142/1,148/1	0.009
55		33/1/2,35/1/2	0.020
56		33-35/1/1/1	0.002
57		33-35/1/1/2	0.005
58		33-35/1/1/4	0.001
59		137	0.027
60		33/2,35/2	0.006
61		36/1/1,37/2/1/1,340/36/1/1	0.007
62		38	0.003
63		39	0.004
64		40	0.007
65		44/2,45/2	0.005
66		44/1,45/1	0.004
67		15/2(P)	0.006
68		19/2	0.011
69		29	0.003
70		244/1	0.005
			0.555 हे.
	म.प्र. भासस की मूभि का योग-		
1		318	0.018
2		325,326	0.006
3		232,233,263,346/232(P)	0.005
4		195 & 197	0.013
5		193,194,195,189,187,3/2	0.002
6		125,126,128,343/128	0.004
7		124	0.004
8		329/36	0.006
9		233	0.004
10		295	0.004
11		285	0.004
12		136,138,140,345/140	0.019
			0.089 हे.

प्र.क. 09/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- इटावाकला प.ह.नं. 18 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 09/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.798 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.005 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-इटावाकला प.ह.न. 18 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	306/1/3/5	0.004
2		313/1/2	0.003
3		313/1/3	0.011
4		306/1/1/3	0.002
5		306/1/3/1/1	0.006
6		306/1/3/2	0.008
7		306/1/3/1/2	0.001
8		305/1,306/2,306/2/1/4	0.003
9		306/1/6/6	0.001
10		194/1/1/1,195,196	0.003
11		194/1/2,195,196	0.004
12		194/2/2,195,196	0.004
13		194/2/1,195,196	0.003
14		208/2,209/2	0.002
15		200/1/ख	0.007
16		201	0.003
17		202/2/1,203,204,298	0.002
18		202/2/2/2,203,204,298	0.003
19		235/2	0.003
20		213	0.005
21		214	0.008
22		218/1	0.041
23		157(P)	0.018
24		158/1	0.032
25		169	0.009
26		170/1/क,171	0.003
27		170/1/ख	0.002
28		123/1/1/1,125/1/1/1	0.031
29		123/1/1/2,125/1/1/2	0.017
30		124/1	0.001
31		124/3	0.001
32		151/3	0.003
33		158/3	0.002
34		1,65,166	0.005
35		167/1	0.002
36		163,175,176,177,185/1/1/1/1	0.004
37		163,175,176,177,185/1/1/1/2	0.003
38		163,175,176,177,185/1/2/2/3	0.004
39		181,183,187,188/2/1/2	0.004
40		186/3/क	0.004
41		181,183,187,188/2/1/2	0.002
42		181,183,187,188/2/1/3	0.006
43		181,183,187,188/2/2/1	0.002
44		106/1,107,108	0.001
45		109/1kh	0.003
46		109/2	0.003
47		110/1	0.001
48		84/3/1/4,116	0.004
49		84/3/1/5,116	0.004
50		118/2/3,119	0.004
51		121/1	0.003
52		121/2..	0.014

53		121/3..	0.012
54		123/1/1/1,125..	0.012
55		84/1/2/2,116	0.001
56		84/1/3/3,116/1/3/3	0.004
57		84/1/3/6,117	0.0004
58		84/1/1/1,116	0.012
59		87/1	0.002
60		88	0.007
61		84,116/1/1/1	0.002
62		97/1	0.004
63		92/1	0.002
64		99/2/2...	0.007
65		99/1/1/1	0.003
66		91/2/2	0.001
67		91/2/3/1	0.001
68		32/1/1/1,33,34,315/34	0.005
69		32/1/1/2,33,34,315/34	0.002
70		32/1/2/1,33,34,315/34	0.002
71		93(P)	0.001
72		29/1/1/2/1.	0.008
73		29/1/1/1/2kh	0.007
74		29/1/1/1/2k	0.003
75		36	0.003
76		29/1/1 G/1	0.002
77		43/2/1,45,44/2,47/1,50	0.009
78		43/2/2,45,44/2,47/1,50(P)	0.006
79		43/3,45,43,45/4,44/2,47/2	0.002
80		142/2	0.004
81		143	0.003
82		77/1/क,78,130,131	0.023
83		66	0.008
84		132/1/1	0.005
85		132/1/2	0.024
86		138/2/1	0.003
87		75	0.004
88		76	0.014
89		323/75/1	0.019
90		323/75/2	0.018
91		49	0.001
92		58,61/2,62/2	0.009
93		62/1,62/2	0.002
94		50	0.001
95		57	0.002
96		52/1	0.002
97		52/2	0.001
98		18	0.007
99		19	0.008
100		20	0.003
101		8	0.002
102		6,9,13,14, 15/1/1/1,2	0.007
103		6,9,13,14,15/1/2/ख	0.007
104		6,9,13,14,15/1/2/ग	0.006
105		6,9,13,14,15/2/2	0.007
106		6,9,13,14,15/2/3	0.005
107		64	0.013
108		65,66,65	0.053
109		69/1	0.012
110		69/3	0.015
111		69/2	0.010
112		68 (p)	0.038
113		70 (p)	0.001
114		71	0.001
115		2/1/1	0.003
116		2/2	0.006
117		2/1/1	0.002
118		2/1/4	0.007
			0.798 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		192/1/2	0.002
2		124/2	0.0004
3		152	0.002
			0.005 हे.

प्र.क्र. 10/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छिपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम छिपानेर प.ह.नं. 22 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 10/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.306 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.105 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम— छिपानेर प.ह.न. 22 तहसील—नसरुल्लागंज जिला—सिहोर	103/2/2	0.004
2		100/2/1	0.003
3		100/3/2	0.005
4		96	0.002
5		98/2/2/2	0.004
6		98/3/1	0.003
7		98/3/3/1क	0.007
8		98/3/3/2	0.002
9		95 (P)	0.003
10		193/123/210/109/क	0.007
11		193/126/210/10/ज	0.004
12		201/193/109/126/2क	0.004
13		213/96	0.002
14		110/1/2	0.004
15		109/1,123/1,126/1,209/109/2/ 2	0.002
16		109/1,123/1,126/1,209/109/2/ 4	0.005
17		109/1,123/1,126/1,209/109/4/ 2/2	0.002
18		109/1,123/1,126/1,209/109/11 9	0.004
19		111/213	0.002
20		111/3/2/5	0.003
21		109/2,126/1/2	0.004
22		109/1/2,126/1/4ग	0.003
23		116	0.032
24		122	0.007
25		77/1/2/1	0.0006
26		77/1/2/2	0.004
27		77/2,79	0.003
28		77/2/2/2/1/2	0.002
29		77/2/79/2/3/2/3	0.032
30		77/2/79/2/4	0.004
31		115/1	0.007
32		149/1/2	0.001
33		149/1/6	0.001
34		149/1/7	0.004
35		149/1/1/2	0.0007
36		24,26/1/1	0.007
37		31/1/1/2	0.016

38		31/2	0.018
40		33	0.004
41		35	0.003
42		36,37	0.005
43		71	0.002
44		73	0.003
45		5,7/1/1	0.005
46		14	0.003
47		16,40	0.011
48		5,7/2(P)	0.009
49		9	0.011
50		47/48/2	0.012
51		49/2/2	0.003
52		50	0.009
53		206/52/2/2	0.001
54		194/5/3/1	0.001
			0.306 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		117	0.005
2		118	0.006
3		76	0.036
4		148	0.0009
5		105/4	0.003
6		214/110/1	0.002
7		26,26/2/4	0.014
8		26,26/2/5	0.005
9		24,26/3	0.030
			0.105 हे.

प्र.क. 12/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-चौरसाखेडी प.ह.नं. 23 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 12/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.350 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- चौरसाखेडी प.ह.न.23 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	204/1/1	0.001
2		204/2/क	0.001
3		204/2/ख	0.001
4		206/1/क/208/263/208	0.001
5		206/1/ख/206,208,263/208/1ख	0.002
6		232/240/4/1	0.002
7		232/5	0.001
8		234/1	0.002
9		234/2	0.001
10		234/3	0.002
11		209	0.003
12		232/240/1	0.029
13		232/240/2/1/1	0.017
14		238/1	0.004
15		241/2	0.001
16		241/3	0.002
17		241/4	0.002
18		242/289/1	0.001
19		246/1	0.007
20		255/1	0.001
21		269/240	0.009
22		135/1/2	0.001
23		135/1/3	0.002
24		160/242	0.002
25		3/2/ख	0.001
26		4/1.	0.001
27		10/1	0.002
28		11/1	0.002
29		4/1	0.001
30		12/1	0.003
31		12/3/1	0.005
32		124,125/1	0.003
33		124/2	0.001
34		124,125/3	0.026
35		124,125/4	0.020
36		124,125/5	0.001
37		286/124	0.011
38		167	0.002
39		168/2	0.002
40		82,83/1	0.002
41		82,83/2	0.001
42		71,72/1	0.003
43		101..	0.003
44		103..	0.001
45		105/1/1	0.001
46		105/1/2	0.001
47		106	0.001
48		13/1(P)	0.024
49		14/2	0.009
50		15/1	0.002
51		15/2	0.025
52		27/1/क	0.032
53		27/2	0.003
54		107/1	0.002
55		108/1	0.001
56		109	0.001
57		11/2	0.001
58		20,21/1/1	0.013
59		20,21/1/2	0.006
60		20,21/2	0.004
61		20,21/3	0.022
62		23,24/3	0.007
63		25	0.001
64		40/1/क	0.001
65		40/2/क	0.001
66		42	0.001
67		43,44/1/1	0.002
68		51	0.001
69		64	0.003
			0.350

प्र.क. 13/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गिलहरी प.ह.नं. 25 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 13/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.403 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.031 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- गिलहरी प.ह.न. 25 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	48/2/1/2	0.001
2		36/1(P)	0.003
3		36/3(P)	0.001
4		38/2/1	0.003
5		47/1	0.003
6		33/1,34/1	0.001
7		36/4(P)	0.017
8		51/1(P)	0.005
9		53/54/2	0.003
10		53/54/3	0.001
11		53/54/4	0.001
12		53/54/5	0.001
13		53/54/6	0.001
14		53/54/7	0.001
15		55/1	0.013
16		55/2	0.025
17		55/3/1	0.003
18		55/3/2	0.007
19		55/4	0.004
20		74,75/3	0.002
21		76/2	0.002
22		78/1,79/1	0.003
23		78/2,79/2	0.001
24		80,81,82/1	0.002
25		80,81,82/3	0.001
26		80,81,82/4	0.001
27		84/1,85/1	0.016
28		84/2/1,85/2/1	0.018
29		180/83	0.020
30		89/1	0.004
31		90/2	0.002
32		119/1/ख	0.003
33		91/2/1/1	0.012
34		56/1	0.013
35		56/2	0.001
36		94	0.002
37		100,102/1	0.003
38		100,102/2	0.001
39		23/3	0.031
40		24/2/1	0.003
41		24/2/2	0.002
42		24/2/3	0.034
43		26,27/1	0.023
44		28/29/1/3	0.001

45		19/3,20/2,22/2	0.002
46		23/1	0.002
47		23/2	0.028
48		11/1	0.002
49		12/2	0.014
50		24/1/1	0.001
51		4/2	0.027
52		4/1/2	0.003
53		3,5,6,7/2/1	0.007
54		177/9/2	0.001
55		2/3	0.001
56		15/1	0.001
57		20/1,21/22/1/1	0.004
58		20/1,21/22/1/2	0.002
59		40,43,44,45/1/2	0.001
			0.403
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		90/2	0.005
2		96(P)	0.005
3		25(P)	0.001
4		9/1	0.012
5		96	0.004
6		2/2	0.001
7		70,71,72	0.003
			0.031

प्र.क. 11...../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-झकलाह प.ह.नं. 22 तहसील नसरुल्लागंज जिला-, सीहोर

प्र.क. 11...../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.295 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.006 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-झकलाह प.ह.न.22 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	90,91,141/108/2/ख1	0.005
2		90,91,141/108/2/ख 3	0.0003
3		141/108/2/2क	0.001
4		109	0.002
5		112/3,113/3,146/112/3	0.005
6		110	0.002
7		88/1/1	0.014
8		88/2	0.015
9		112/1/1,113/1/1,146/113/1/1	0.005
10		116/1/ख	0.002
11		116/1क	0.002
12		116/1ग	0.001
13		116/3 क	0.003
14		139/117/घ	0.001
15		121	0.002
16		123	0.001
17		125,143/127/2/2/2	0.001
18		125,143/127/2/2/3	0.001
19		126/3	0.002
20		143/127/1/1/1	0.002
21		143/127/1	0.0003
22		148/118/1	0.007
23		77/1/1/3	0.004
24		78/1	0.006
25		79/1	0.004
26		80/1क	0.003
27		80/1ख	0.001
28		81/1	0.010
29		84/86/2/3/2	0.003
30		87	0.001
31		84/2,86/2/1	0.002

32		53/1/1/1	0.007
33		53/1/1/2	0.003
34		56/136/56/15/1/1/2	0.008
35		56/136/56/15/1/1/3	0.022
36		56/136/56/13/1	0.002
37		56/136/56/13/2	0.002
38		56/136/56/15/1/1/1	0.010
39		56/136/56/14/1क	0.003
40		39/1	0.003
41		40/1/1/1	0.002
42		40/1/1/2	0.001
43		40/2/1/2	0.002
44		40/2/1/3	0.001
45		140/39/2/1	0.001
46		32/1/1/4,33/1/1/4,34/1/1/4	0.008
47		32,/33,34/1/1/5	0.008
48		97,98/2/2,102/2	0.001
49		97/3,98/2/3,102/3	0.002
50		32/1/1/2,33/1/1/2,34/1/1/2	0.001
51		32,33/1/1/3,34/1/1/3	0.001
52		32/1/1/2,33/1/1/2,34/1/1/2	0.003
53		38/2/1ख	0.001
54		38/2/2/1क	0.005
55		38/2/2/1क	0.005
56		39/2/1/1	0.002
57		39/2/1	0.002
58		53/2/2	0.004
59		53/2/1ख /2	0.003
60		56,136/56/12	0.002
61		56,136/56/9/1ग	0.001
62		56,136/56/7/5	0.002
63		56,136/56/7/3	0.002
64		56/9/2,135/56/9/2	0.002
65		56/9/3,135/56/9/3	0.001
66		16/1/2ख	0.001
67		16/1/2ग	0.002
68		16/2	0.001
69		17	0.001

70		18/1	0.001
71		18/2	0.002
72		18/3	0.005
73		56/3,136/56/3	0.002
74		56,136/56/7/1	0.001
75		56/7,136/56/7/4	0.002
76		56,136/56/7/2	0.0007
77		56/2/3,136/56/2/3	0.001
78		56/1,136/56/1क	0.002
79		2/1/3क	0.002
80		2/1/3ख	0.001
81		2/1/3ग	0.001
82		2/1/3घ	0.001
83		16/1/1/1	0.002
84		28/1/1	0.001
85		28/2/1/2,29/1/2(P)	0.001
86		37/1क	0.007
87		27/1	0.0002
88		28/1/2	0.001
89		28/2/1/1,29/2/1/1	0.001
90		31/1/1/1	0.002
91		28	0.001
92		32/2/2/1/1,33/2/2/1/1,34/2/2/1/1	0.004
			0.295 हे.
	म.प्र. भासलन की भूमि का योग—		
1		143/127/1/1/4	0.001521
2		143/127/1/1/5	0.002389
3		40/1/2,40/2	0.001781
4		31/2/2	0.000347
			0.006

प्र.क. 14/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- बगवाड़ा प.ह.नं. 24 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 14/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.877 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.011 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम बगवाड़ा प.ह.न.24 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	267,268,271,272,273,274,275,276, 277,418/275(P)	0.004
2		421/1	0.004
3		423,455/424	0.026
4		424/1/1/1,425/1	0.004
5		424/1/1/2,425/1	0.037
6		427/1/1/1,428/429/2	0.040
7		427/1/2/4,428,429	0.028
8		427/2/1/1,428,429/1	0.049
9		427/2/1/2,428,429/1	0.011
10		432/1/1,433,435,436,437,438	0.007
11		432/1/2,433,435/1,436,437,438/2	0.005
12		432/1/3,433,435,436,437,438/1/3	0.017
13		432/1/4,433,435/1,436/2,437,438/4	0.009
14		432/1/5,433,435/1,436/2,437,438/5	0.001
15		441	0.003
16		417/1/1,418/1/1	0.002
17		417/2/क,418/2	0.001
18		463/403	0.005
19		465/430	0.003
20		416/1	0.003
21		416/2/क	0.009
22		443/1/1,443/2	0.010
23		400/1/2,400/2,402/1/2	0.012
24		406/1	0.007
25		383/1/1/क,396,397,398,399/1/1क	0.005
26		382/1/क	0.005
27		278/2/क/1	0.028
28		278/2/क/2/1	0.003
29		278/2/क/2/2	0.001
30		278/2/क/3	0.023
31		280/1,281/1	0.005
32		3/2.	0.031
33		267,268,271,272,273,274,275,276, 277,418/275(P)	0.002
34		264/1/ख,265/1ख	0.011
35		257,258/2/घ	0.038
36		470/257/2	0.025
37		259/2/2,260,261,262/263/2/2	0.007
38		259/2/3,260,261,262,263/2/3	0.008
39		259/2/4,260,261,262,263/2/4	0.033
40		231	0.004

41	238(P)	0.005
42	2,46,247	0.006
43	238(P)	0.066
44	37/1	0.006
45	37/2	0.005
46	38/1	0.010
47	38/2	0.003
48	39/1	0.008
49	39/2	0.002
50	40/1/2,41,238/1,239/1/2	0.006
51	40/1/3,41,238/1,239/1/3	0.006
52	196/1/क	0.001
53	198,199,200/1	0.004
54	198,199,200/2/1	0.005
55	188/1/क,189/1	0.004
56	201/1/1,202,203/1/1	0.005
57	201/1/2,202,203/1/2	0.005
58	201/2,202,203/2/2	0.002
59	201/2/1,202,203/2/1	0.004
60	180/1,186/1	0.004
61	184/1	0.003
62	184/2/क	0.003
63	205/1/1/क	0.011
64	172/1,174/1	0.002
65	173	0.001
66	167/1/क	0.005
67	167/1/ख	0.003
68	167/1/ग	0.003
69	175/1,176,177,478/176/1	0.003
70	175/2,176,177,478/176/2	0.004
71	175/2/1/1,176,177,478/176	0.002
72	181/1	0.006
73	181/2	0.004
74	150/1/1,159/2/1	0.005
75	160/1	0.004
76	160/2/क	0.002
77	152/1/क,154,156/1क	0.004
78	218	0.001
79	219	0.002
80	223/1	0.002
81	224/1	0.006
82	224/2	0.001
83	55	0.001
84	56/1	0.001
85	64/1	0.003
86	148/1	0.006
87	96/2/1/क/1,101,102,106,107	0.005
88	108	0.0003

89		109/1	0.002
90		109/2	0.001
91		109/2/1/2	0.003
92		109/2/2	0.007
93		18/1/1/2,19,24,25/1/1/2	0.003
94		18/1/1/2/1/क,19,24,25/1/1/2/1/क	0.004
95		18/1/1/2/1/ख,19,24,25	0.001
96		18/1/1/3,19,24,25/1/1/3	0.010
97		18/1/1/4/क,19,24,25	0.003
98		32/1	0.004
99		15,16/1	0.006
100		15,16/2	0.001
101		18/2/ख,19,24,25	0.004
102		80/1/क/1	0.005
103		91,92/1/1/1(P)	0.008
104		80/2/3/ख	0.003
105		85/1,87/2/1	0.004
106		110/1/2/क/2/2	0.009
107		126	0.002
108		129/1/1/क	0.005
109		130/1	0.003
110		135	0.005
111		142/2/1,143,147/2/1	0.006
112		149	0.006
			0.877 हे.
	म.प्र. भासल की भूमि का योग-		
1		31	0.003
2		474/34	0.005
3		79	0.003
			0.011 हे.

प्र.क. 15/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-रानीपुरा प.ह.नं. 21 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 15/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.418 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-रानीपुरा प.ह.न.21 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	79	0.001
2		72/1/1/2	0.003
3		136/72	0.001
4		58/1/4	0.000
5		58/1/1(P)	0.015
6		58/1/1/1/2/2/क	0.005
7		58/1/1/1/2/2/ख	0.010
8		58/2/1/2	0.003
9		58/1/2	0.001
10		58/2/2	0.004
11		58/1/1/2/1	0.001
12		58/1/1/2/2	0.003
13		125/58(P)	0.004
14		126/58/1	0.004
15		127/58/3	0.002
16		127/58/4	0.001
17		128/54,124/58/2	0.003
18		68	0.002
19		58(P)	0.003
20		85	0.004
21		54/1,61/2/1/2/5	0.016
22		117/54	0.015
23		133/128/54/1	0.001
24		133/128/54/2	0.003
25		125/58(P)	0.003
26		135/125/58/2	0.001
27		Z8	0.029
28		54/1/57/1/1,118/54, 123/57/2	0.035
29		57/1/4,57/1,118/54, 123/57/2, 119/56/3,127/58/2	0.044
30		45	0.001
31		59/2/2	0.018
32		116/51	0.007
33		117/54	0.029
34		19,24/3	0.002
35		65/1	0.001
36		11,23/1	0.003
37		12/2	0.006
38		6/3	0.002
39		6/4	0.001
40		8	0.000
41		9/2	0.010
42		45	0.001
43		28(P)	0.0130
44		43/1	0.001

45		46	0.014
46		41	0.000
47		47,48,49	0.002
48		47,48,49/1	0.001
49		34	0.001
50		35	0.002
51		27	0.004
52		28(P)	0.004
53		132	0.003
54		28(P)	0.002
55		2/1/2	0.032
56		1/2/1ख	0.010
57		3/1/2	0.009
58		3/2	0.007
59		3/1/1ख	0.004
60		6/1	0.012
			0.418
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		77	0.001
			0.001

प्र.क्र. 16/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- नारायनपुरा प.ह.नं. 24 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 16/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.409 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.004 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम नारायनपुरा प.ह.न.24 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	139,140,141,142,143,148/2/3	0.011
2		139,140,141,142,143,148/2/2/3 (P)	0.002
3		132/2	0.003
4		31,32,160/32	0.059
5		34	0.018
6		38/1	0.001
7		38/2	0.000
8		44,45/1	0.002
9		77	0.001
10		79/1	0.003
11		79/2	0.001
12		79/3	0.002
13		67,72,73,74/1ख/1/1	0.001
14		67,72,73,74/1ख/1/2	0.000
15		75/2	0.001
16		75/3	0.001
17		47,158/60/1/2	0.003
18		48,51,52,54/2/2क	0.004
19		48/2/4,51,52,54/2/4ख	0.003
20		49	0.006
21		50/1	0.006
22		50/2	0.012
23		50/3	0.014
24		21	0.018
25		22,23,151/23/1/2	0.004
26		24,25,26,29/2/1	0.001
27		24,25,26,29/1	0.002
28		24,25,26,29/2	0.007
29		24,25,26,29/4	0.003
30		56,58,1/1(P)	0.005
31		57	0.003
32		3,8,9,12/7क	0.016
33		3,8,9,12/7ग/1	0.029
34		13/2/2K,15,17,159/15/2/2ख	0.004
35		13,15,17,159/2/3 क	0.002
36		13/2/3KH,15,17,159/15/2/3ख	0.006
37		14	0.002
38		19/ क	0.017
39		20	0.003
40		56,58/1	0.005
41		59	0.002
42		65/2	0.001
43		1,8,9,10,12/1	0.014
44		3,8,9,10,12/2	0.002
45		3,8,9,10,12/4 क/1	0.020

46		3,8,9,10,12/6	0.010
47		3,8,9,10,12/7 ग	0.014
48		1,2/3	0.011
49		1,2/6	0.008
50		1,2/7	0.014
51		1,2/10	0.010
52		3,8,9,10,12/4क/2	0.004
53		4,5/2	0.015
54		4,5/4	0.010
			0.409 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		53/55	0.007
2		33	0.004
3		78	0.0001
4		60(P)	0.0002
			0.004 हे.

प्र.क. 17/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-महागांव कदीम प.ह.नं. 33 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 17/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.546 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.043 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-महागांव कदीम प.ह.न.33 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	55	0.003
2		66	0.001
3		67	0.002
4		51	0.017
5		72	0.010
6		73	0.011
7		50/1/1	0.004
8		50/1/2	0.023
9		50/2	0.014
10		48/2/1	0.002
11		212/1	0.002
12		212/2	0.002
13		40/7	0.003
14		80,303/84	0.005
15		83/1/3	0.004
16		83/1/4	0.002
17		85/2, 291/86/2	0.003
18		291/86/1	0.001
19		75/1/1ख	0.009
20		75/1/1ख	0.007
21		76/1, 77/1, 307/75/1	0.008
22		79	0.010
23		82/2	0.002
24		82/3	0.005
25		83/1/4(P)	0.002
26		83/2	0.005
27		83/1, 90/1, 91/1	0.010
28		83/2, 90/2, 91/2	0.001
29		83/3, 90/3, 91/3	0.003
30		83/4, 90/4, 91/4	0.002
31		98/1/1/1ख	0.001
32		98/1/1/2ख	0.001
33		102(P)	0.004
34		108&109	0.003
35		116	0.001
36		117/2/1(P)	0.002
37		40/4	0.005
38		41/2/1	0.002
39		118/2	0.001
40		128	0.0003
41		208/1/1, 209/1/1	0.004
42		208/1/2, 209/1/2	0.006

43	208/2, 209/2	0.004
44	213/1/2	0.002
45	214	0.003
46	215/1	0.002
47	205/2/1/2, 205/2/2/2, 215/2/1/2, 215/2/2/2 (P)	0.004
48	216/2(P)	0.002
49	216/3	0.002
50	217/2	0.003
51	219	0.000
52	220/1	0.002
53	229/2(P)	0.007
54	15/2ख	0.006
55	15/2च	0.007
56	14/2/1(P)	0.003
57	286/15	0.007
58	22/23/24/25/26/30/1/1/1क	0.003
59	22/23/24/25/26/30/1/3क	0.002
60	22/23/24/25/26/30/2/1	0.021
61	18/1, 17/1	0.010
62	28	0.001
63	39/3/ग	0.015
64	39/1	0.012
65	39/2	0.017
66	32/1/1	0.013
67	32/1/2	0.020
68	311/35/1	0.002
69	32/2/2	0.0003
70	37/1	0.006
71	37/2/1	0.001
72	37/2/2	0.001
73	37/2/3	0.002
74	37/2/4	0.001
75	36/1.	0.005
76	308/34	0.002
77	6/1च/2, 7/1च/2	0.019
78	6/1/क 7/1/क	0.014
79	6/2/3ग 7/2/3 ग	0.002
80	9,10	0.002
81	12,13	0.003
82	14/1/2	0.001
83	304/12	0.003
84	229/2(P)	0.002
85	237	0.018
86	253, 254	0.025
87	255/3(P)	0.004
88	260/1/6(P)	0.016

89		301/255(P)	0.001
90		300/260(P)	0.002
91		250/2(P)	0.001
92		250/3	0.002
93		250/4	0.013
94		250/5(P)	0.003
95		277/2/1	0.005
96		277/2/2	0.001
97		243(P)	0.002
98		248	0.002
99		250/2(P)	0.002
100		261/2	0.004
101		262/2	0.002
102		255/3(P)	0.003
103		260/1/6(P)	0.003
104		300/260(P)	0.003
			0.546 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		211	0.002
2		116	0.0005
3		127	0.001
4		219	0.0003
5		27	0.0006
6		242	0.003
7		249(P)	0.0001
8		250/4	0.013
9		275(P)	0.001
10		277/1/1(P)	0.003
11		277/1/1(P)	0.007
12		250/1(P)	0.001
13		238	0.011
			0.043 हे.

प्र.क. 19/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम **बड़नगर** प.ह.नं. 25 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 19/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.217 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.008 हे.

कमाक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक	खसरा कमाक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- बड़नगर प.ह.न.25 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	124/5/ख	0.002
2		124/6/1	0.003
3		57/1/3/2	0.002
4		57/1/3/1/1	0.002
5		57/1/2क	0.007
6		60/1/1	0.002
7		60/2	0.001
8		61/1	0.003
9		49	0.003
10		52,53,54,55,56/2/1/1	0.007
11		43/1/3/2	0.011
12		43/1/3/3	0.009
13		44/1/1	0.009
14		44/1/2	0.021
15		32/1/3(P)	0.002
16		35/36/1/1ख	0.036
17		38/2	0.020
18		130/38	0.011
19		29,30,146/29/1/1/2/ख	0.004
20		32/1/1	0.001
21		33/1/2	0.005
22		20/2	0.010
23		21/2,22/4	0.002
24		21/3/22/4	0.002
25		21,22/5/1	0.024
26		21/4,22/4	0.020
			0.217
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		127/8	0.003
2		58	0.003
3		62	0.001
4		50	0.001
			0.008

प्र.क. 19/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-जामुनियाकला प.ह.नं. 26 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 19/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.309 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.017 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-जामुनियाकला प.ह.न. 26 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	24/2,25/2	0.0004
2		24/2,25/2	0.006
3		28,29,30/1/1/1क	0.003
4		28,29,30/1/4	0.002
5		28,29,30/1/5	0.000
6		17/1	0.001
7		17/2	0.003
8		31/2/1ख	0.003
9		28,29,30/2/2/2/1क	0.001
10		28,29,30/2/2/1	0.001
11		28,29,30/2/2/2/क/2	0.001
12		28,29,30/2/2/2क/3	0.001
13		28,29,30/2/2/2क/4	0.001
14		28,29,30/2/2/2क/7	0.0004
15		28,29,30/1/2/1	0.0002
16		16/4	0.001
17		40	0.005
18		41/2क	0.002
19		41/2ख	0.002
20		38/2/2/2	0.005
21		34/1	0.003
22		35/1	0.002
23		35/1/2क	0.001
24		35/2/2ख	0.001
25		35/2/2घ	0.017
26		64/2	0.004
27		64/4	0.001
28		64/5	0.0003
29		37/2	0.016
30		61/1	0.014
31		46,42/2,56,57/2ख	0.022
32		55,73/1क	0.002
33		55,73/1ख	0.001
34		55,73/1ग	0.002
35		55,73/1ड	0.002
36		55,73/1/6	0.0002
37		103	0.001
38		68,70/2/1क	0.001
39		141	0.001
40		160/67/1	0.0004
41		160/67/3	0.002
42		143/2	0.003
43		145/1/4	0.003
44		132,134,164/134/1	0.002

45		137, 138	0.001
46		137, 138 / 4	0.002
47		81,82/1/2/3,86/16/22/8	0.001
48		81,82/1,82/2,82/3,86,161/82	0.001
49		81,82,86/1/2/3घ	0.003
50		85,87,88/2/1क	0.001
51		85/2/2/1,87/2/2/1,88/2/2/1	0.001
52		52/2	0.002
53		52/3	0.001
54		77	0.002
55		79	0.014
56		52/1	0.002
57		53/1	0.004
58		149/53/2/3	0.003
59		46/3,48/2/3,56/3,57/3	0.002
60		46,48/2,56,57/1	0.041
61		47/1	0.003
62		48/1/2	0.001
63		48/1/2/क/1	0.001
64		48/6	0.0004
65		48/1/2/1क/2	0.001
66		48/4/3	0.031
67		48/1/1क	0.005
68		48/1/1/ख	0.0003
69		48/3/2	0.027
70		49/53,149/53/1/4	0.025
71		49/149/53/1/5/1	0.022
72		149/53	0.003
73		49,149/53/2/1/2	0.002
74		1/2,2/2	0.008
75		9,10/2क	0.001
76		41/3/1क	0.002
			0.309
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		156/72	0.017
			0.017

प्र.क. 20/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थायी अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- डोभा प.ह.नं. 07 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 20/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.264 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-डोभा प.ह.न. 07 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	141,164/1ग	0.005
2		141,164/1घ/2	0.007
3		141,164/1घ/1	0.004
4		141,164/2/2	0.008
5		141,164/2/1	0.001
6		163,211/163	0.002
7		155	0.006
8		158	0.003
9		138,139,140/1	0.005
10		138,139,140/2	0.009
11		133,134,135,207/134/2ख	0.011
12		133,134,135,207/134/3	0.001
13		133,134,135,207/134/4	0.001
14		133,134,135,207/134/5	0.003
15		206/128/2	0.003
16		128/5	0.003
17		128,206/128/1,207/128/2	0.010
18		131,132/1/1	0.003
19		119/2	0.001
20		120,121/1	0.004
21		120,121/2	0.002
22		120,121/3	0.004
23		24/1	0.004
24		113/1	0.001
25		116/2	0.001
26		116/3	0.001
27		117/1	0.001
28		204/119/1	0.003
29		118/2	0.006
30		123,124/1/2	0.002
31		123,124/6/1/2	0.001
32		123,124/6/1/1	0.002
33		123,124/6/2	0.002
34		123,124/1/4	0.001
35		123/2	0.002
36		123,124/2	0.001
37		123,124/1/8	0.001
38		150,151,152,209/150/3	0.005
39		150,151,152,209/150/1	0.004
40		109,110/1	0.001
41		111	0.001

42		89/5	0.009
43		89/4	0.014
44		100,101,203/101/1क	0.003
45		89/2	0.003
46		79/3/1	0.003
47		89/3/2	0.001
48		98/1	0.011
49		99	0.001
50		103	0.001
51		104	0.004
52		100,101,203/101/3/1	0.002
53		2	0.000
54		73	0.007
55		37/1	0.001
56		37/2,196/35,197/36	0.013
57		39/1/2,39/2	0.004
58		1/2च /1	0.002
59		200/83	0.004
60		1/2ग /2	0.002
61		3/2	0.008
62		3/3	0.001
63		191/3/2	0.001
64		199/81	0.003
65		77,200/83/1 (p)	0.004
66		77. 200/83/3/1	0.004
67		196/35,197/36 / 1/1	0.000
68		35,36,37/1,37/2,193/35	0.004
69		35/1/2/1	0.001
70		13/1,33/2,3	0.004
71		14/5	0.001
72		32/1,33/2, /2	0.001
73		28 (p)	0.007
74		25	0.003
75		26/1	0.002
76		26/2,27,31/1,31/2	0.003
			0.264
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		102	0.001
			0.001

प्र.क. 21/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-ससली प.ह.नं. 20 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 21/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.504 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.019 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-ससली प.ह.न.20 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	210/3/1	0.001
2		210/4	0.001
3		209/2	0.004
4		209/3	0.004
5		216/1	0.002
6		217	0.002
7		209/4	0.005
8		108/2/2,109/2/2,110/2/2,111/2/2,112/2/2	0.017
9		108/2/3,109/2/3,110/2/3,111/2/3,112/2/3 K/KH	0.002
10		111/1/2	0.016
11		113,114/1/2	0.029
12		113/2,114/2/4	0.007
13		104/2/2,105/2/2,106/2/2,107/2/2	0.015
14		104/105	0.043
15		84/3(P)	0.022
16		84/4	0.004
17		84/5	0.015
18		84/6	0.007
19		88	0.013
20		90/3,91/3,92/3	0.006
21		99	0.004
22		98,99,100,239/100	0.003
23		101,102/1	0.004
24		117/4	0.004
25		177(P)	0.004
26		178(P)	0.003
27		156/2/2/3	0.001
28		173/1	0.001
29		24/1/2(P)	0.0002
30		24/1/1/1/2/1	0.003
31		24/1/1/1/2	0.006
32		24/1/1/1/2/3	0.005
33		24/1/1/1/2/5	0.001
34		24/1/1/1/2/6	0.004
35		96/1/1/1	0.007
36		79/2/3/1,80/2/3/1,81/2/3/1,238/81/2/3/1	0.027
37		79/2/3/2,80/2/3/2,81/2/3/2,238/81/2/3/2	0.021
38		82/1	0.035
39		79/2/2/2,80/2/2/2,81/2/2/2,238/81/2/2/2	0.010

40		81	0.001
41		79/1/2/2	0.003
42		238/81/1/2/2	0.001
43		79/1/2/3,80/1/2/3,81/1/2/3,238/81/1/2/3	0.002
44		79/1/1,80/1/1,81/1/1,238/81/1/1	0.003
45		84/1	0.004
46		84/6	0.006
47		20/1	0.017
48		9/4	0.018
49		9/3	0.018
50		9/2	0.022
51		2-3/1	0.021
52		15/2/2,16/2/2,17/2/2	0.002
53		15/2/1,16/2/1,17/2/1	0.001
54		15/1,16/1,17/1	0.001
55		25/1,237/25/1	0.002
56		25/2,237/25/2	0.001
57		26	0.002
58		19/2,21/2,20/2	0.004
59		236/22	0.001
60		22	0.001
62		37	0.002
63		227/43	0.004
64		43/1,44/1,227/43/1	0.001
65		43/2/1,44/2/1,227/43/2/1	0.003
			0.504 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		110	0.006
2		106	0.002
3		174,173/2	0.001
4		238/81	0.004
5		15/3,16/3,17/3	0.001
6		76	0.002
7		228/41	0.002
			0.019 हे.

प्र.क. 22/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम इटारसी प.ह.नं. 21 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 22/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.330 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.007 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- इटारसी प.ह.न. 21 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	42/1/1	0.003
2		205/2	0.003
3		205/3	0.004
4		206/1/2,209,210/1/2	0.005
5		206/1/3,209,210/1/3	0.001
6		211/1/1,212,214,215/1/1	0.008
7		211/1/1/2,212,214,215	0.012
8		211/1/1/3/क,212,214,215	0.001
9		211/1/1/3/ख,212,214,215	0.002
10		211/1/1/4/1,212,214,215	0.003
11		193/1/1/1,194,195,196,197,198,199,200	0.008
12		193/1/1/3,194,195,196,197,198,199,200	0.006
13		193,1/2/1/1/2,194,195,196,197,198,199,200	0.002
14		178/2,179,180/2	0.001
15		181/1/1,189,190,191	0.008
16		181/1/2,189,190,191	0.004
17		181/1/4,189,190,191	0.006
18		181/2/1/1/1,189,190,191	0.006
19		181,2/1/1/2,189,190,191	0.015
20		184/2/1	0.003
21		184/2/2	0.003
22		188	0.003
23		171/2/1	0.002
24		171/2/2	0.004
25		173/1/1,174,176,177/1/1	0.000
26		173/2/2,174,176,177/2/2	0.003
27		151/1	0.005
28		151/2	0.010
29		149/1/2, 150/1/2	0.005
30		149/2/1, 150/2/1	0.002
31		149/2/2, 150/2/2क	0.004
32		157/1/1/1,158,159,160,161	0.0003
33		157/1/1/2,158,159,160,161/1/1/2	0.004
34		157/2,158,159,160,161/2	0.005
35		162	0.004
36		163/1,164,175/1	0.013
37		163/3,164,175/3	0.002

38		168	0.004
39		193/2/क, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200	0.004
40		36	0.005
41		193/6/1/2/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200	0.002
42		115/2, 116/2/क	0.003
43		142	0.002
44		145/2	0.007
45		146/1, 148/1	0.002
46		147/1	0.005
47		111/2/ख, 112, 222/112	0.002
48		76/2/2, 77, 90, 91, 92	0.006
49		76/2/3, 77, 90, 91, 92	0.005
50		94/1	0.009
51		94/2	0.015
52		95/2/क, 1, 96	0.003
53		95/2/घ, 96	0.006
54		99/1/1/ख, 2, 103	0.005
55		99/1/1/ग, 103	0.001
56		12/2	0.001
57		13/1	0.001
59		16/4/1/2, 19/4/1/2	0.002
60		14/1	0.004
61		15	0.002
62		16/1/1/क, 1, 19	0.003
63		16/5/1/1/1/क, 19	0.002
64		16/1/3, 19	0.004
65		16/3/1/1, 19/5	0.001
66		20/2/2/1/1/क	0.002
67		16/5/1/1/2/ख, 19/5/1/1/2/9502	0.002
68		5/1, 6	0.002
69		5/3, 6	0.003
70		7	0.0003
71		4/1/2/4/क	0.009
72		4/1/1/1/1	0.002
73		20/1/2/1	0.002
74		16/6, 19/6	0.003
75		16/5/1/2/1/6/1, 19	0.007
76		16/5/3/1/1/क, 19	0.004
77		16/5/3/1/1/ख, 19	0.006
78		16/5/6, 19/5/6	0.011
79		2/4	0.002
			0.330
म.प्र. भासल की भूमि का योग-			
1		193/1/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1/1/3	0.001
2		37	0.003
3		12/1/2	0.002
4		16/2, 19/2	0.001
			0.007

प्र.क. 23/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- वासुदेव प.ह.नं. 17 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 23/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.769 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.020 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-वासुदेव प.ह.न. 17 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	344/1,346/1,347/1,353/1	0.006
2		344,346,347, 353/1/1/1ग(P)	0.004
3		320,323/1/4/4	0.004
4		320/1/2,323/1/2 (P)	0.005
5		320/2/2/2,323/1/2/2	0.007
6		320,323/2/2/1ग	0.002
7		347	0.004
8		349	0.002
9		352/1	0.001
10		344,346,347,353/1/1/1ग (P)	0.004
11		320/2/1/2,323/2/1/2	0.005
12		313/2/1/2	0.002
13		313/2/1/4	0.002
14		313/3/6	0.005
15		313/3/1	0.003
16		313/2/2/1	0.003
17		167/1/4	0.002
18		167/1/5	0.002
19		313/2/2 (P)	0.003
20		313/2/2/2 (P)	0.002
21		288,289/4	0.002
22		275/1ख	0.002
23		275/1क	0.005
24		288/3,289/3	0.001
25		275/2	0.003
26		292/1/1	0.001
27		287	0.004
28		287	0.004
29		3,34,33,93,40,341	0.026
30		343	0.001
31		344/3ख,346/3ख,347/3ख,3 53/3ख	0.007
32		344,346,347,353	0.009
33		331/1/1	0.008
34		29,82,99,300	0.010
35		282/1,282/2	0.020
36		284/1	0.006
37		284/2	0.004
38		285,286/1/2/1	0.012
39		285/1,286/1	0.019
40		285,286/1/3	0.012
41		273/1	0.002
42		254/2/1	0.006
43		254/1/3	0.008
44		254/1/2	0.008
45		266/2	0.004

46	256/1क/1	0.005
47	256/1 क /2	0.005
48	280/3,281/3	0.026
49	278/1/1	0.010
50	251/1/1,270/1/1,271/1/1,2 72/1/1	0.014
51	248/1/1	0.011
52	248/1/2	0.001
53	245	0.007
54	243/2,244/2	0.006
55	247/1/2	0.001
56	247/1/1	0.011
57	280/1/2,281/1/2	0.004
58	239,240/2ख	0.001
59	239/2,240/2 क	0.003
60	238	0.002
61	280/2/1,281/2/1	0.003
62	280/2/2,281/2/2	0.002
63	302/1/1/2,303/1/1/2	0.003
64	302/2/3,303/2/3,302/2/1/3 ,303/2/1/3	0.001
65	302,303/5	0.005
66	302,303/10	0.001
67	309/2,319/2	0.003
68	307/2/2/1/1,310/2/2/1/1	0.003
69	237	0.002
70	52/1/2/1,55/1/2/1	0.005
71	52/2/3/4,55/2/3/4	0.014
72	52,,55/2/3/1/1/1	0.021
73	52,55/2/3/1/1/2	0.004
74	52/2/3/1,55/2/3/1	0.007
75	262/2,263/2	0.001
76	262,263/1/1	0.004
77	51/264/2	0.007
78	51/264/1	0.002
79	265	0.003
80	266/1	0.002
81	46	0.001
82	48	0.001
83	49	0.002
84	5/1/1/2,5/2/1/2,10/1/2,20/ 1/2,33/1/2/2	0.016
85	5/1/2/1,5/2/2/1,17/2/1,20/ 2/1,33/2/1	0.002
86	2/121	0.001
87	31/3	0.001
88	31/4	0.001
89	31/2/1	0.003
90	31/3/3	0.000
91	23/1	0.006
92	23/2	0.019
93	23/3	0.002
94	28	0.003

95		29/1	0.021
96		44/1/1	0.025
97		44/1/4	0.001
98		44/1/5	0.004
99		59/1/1	0.002
100		59/1/2	0.008
101		60/2/4,61/2/4,64/2/4	0.002
102		60/2/3,61/2/3,64/2/3	0.004
103		60/2/2,61/2/2,64/2/2	0.002
104		60/1,61/1,64/1	0.003
105		51/3/2	0.002
106		59/3/1	0.001
107		59/2/2	0.001
108		59	0.005
109		2/3/1	0.001
110		15/1	0.003
111		2	0.006
112		2/1/2	0.016
113		5/1/2/1,5/2/2/1,17/2/1,20/2/1,33/2/1	0.022
114		5/1/1/1,5/2/1/1,17/1/1,20/1/1,33/1/1	0.017
115		21	0.015
116		5,17,20,33,112/1/1/2	0.004
117		17,20,33/1/2/1	0.014
118		2/2/3/1	0.005
119		2/3/5/7	0.003
120		4/1	0.002
121		8/2क	0.006
122		11	0.002
123		78,79,80	0.006
124		114	0.002
125		115	0.003
126		116	0.002
127		117	0.003
128		110/2,128/2	0.002
129		110,128/1	0.002
130		129/2	0.001
131		134	0.002
132		135/1	0.002
133		135/2	0.004
134		136	0.003
135		156/2	0.007
136		159/2	0.004
137		161/2(P)	0.001
138		161/1/2	0.005
139		161/1/1	0.002
140		156/1	0.004
141		140/1	0.001
142		140/2	0.003
143		141/1	0.000
144		142/2	0.001
145		147/1	0.001
			0.769 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		348	0.001
2		315/4	0.001
3		318/1	0.004
4		246(P)	0.001
5		302/2/2,303/2/2	0.000
6		47	0.000
7		30/3/2	0.000
8		129/1	0.011
9		6	0.003
			0.020 हे.

प्र.क. 24/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- मगरिया प.ह.नं. 16 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 24/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.416 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.024 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- मगरिया प.ह.न.16 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	189/1/1/3	0.008
2		191/1/2	0.005
3		189/2/2/1	0.004
4		185,218/185/2/3/2ख	0.002
5		189/1/2ख	0.003
6		185,218/185/2/2/1	0.003
7		185,218/185/2/2/1	0.003
8		185,218/185/1/2/1	0.007
9		185,218/185/1/1/6	0.003
10		185,218/185/1/1/7	0.005
11		185,218/185/1/1/9ख	0.009
12		185,218/185/1/1/8	0.012
13		175/2/1	0.006
14		175/2/2	0.008
15		216/177/2/4/2	0.003
16		157/2/2	0.002
17		215/175/2/1ख	0.005
18		215/175/1ख/2	0.002
19		175/1/3/1ख	0.001
20		175/1/3/3	0.004
21		185,218/1/1/3	0.003
22		185,218/1/1/2	0.003
23		200/1/3	0.010
24		200/1/1	0.005
25		193/1घ	0.005
26		195	0.007
27		167/1/2	0.021
28		172/1	0.010
29		201/3	0.027
30		167	0.012
31		134/1	0.018
32		157/1/1	0.003
33		155/1ख	0.004
34		153	0.002
35		133/1	0.016
36		135/1ग	0.002
37		135/1ख	0.004
38		143(P)	0.002
39		227/142	0.002
40		27/1/3	0.004
41		27/2/1,28	0.002
42		38/1/1	0.002
43		38/2	0.001
44		41/1	0.005
45		43	0.002
46		40/1	0.008
47		40/3	0.001
48		148,222/147/1क	0.001
49		154/1/1	0.001
50		155/1 क	0.002
51		49/1 क/1,51,205/51,206/51,1 क/1	0.005
52		49/1ख,51,205/51,206/51/1ख	0.011
53		49/1ग,51,205/51,206/51/1ग	0.004
54		49/2/ क,51,205/51,206/51/2 क	0.018
55		49/2/ख,51,205/51,206/51/2ख	0.005
56		53/1	0.001

57		130/1	0.004
58		55/2क/3	0.001
59		55/2क /4	0.001
60		55/3	0.001
61		57/1ग	0.009
62		57/2क	0.002
63		57/2ग	0.005
64		47,48,50	0.004
65		23,24/2	0.005
66		13/2/1	0.004
67		12/2ख	0.002
68		12/3	0.002
69		2/3	0.007
70		15/1ख	0.002
71		15/2क	0.003
72		16/3 क	0.001
73		211/14	0.002
74		16/3ख	0.003
75		17/1ग	0.002
76		18/1/3क	0.009
77		18/1/3ख	0.005
78		18/1/3ग	0.003
79		21/3 क	0.005
80		220/2	0.003
81		221/60/1	0.002
82		221/60/2	0.002
83		221/60/4/1	0.002
			0.416
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		200/2	0.020
2		132/3(P)	0.003
3		8	0.001
			0.024

प्र.क. 25/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आंधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- कुमनताल प.ह.नं. 07 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 25/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.414 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.042 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम कुमनताल प.ह.न.07 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	286,287,288/1/1/2	0.002
2		290/2	0.002
3		291/2	0.001
4		278	0.009
5		380/279	0.025
6		297/1 ग	0.002
7		297/2/1/2	0.001
8		297/1ख	0.001
9		328	0.008
10		285/2/1	0.0004
11		286,287,288/2/1	0.008
12		286,287,288/2/2	0.012
13		286,287,288/3/1	0.010
14		286,287,28/3/2/3/2/1	0.006
15		309,313,310/5	0.002
16		313	0.001
17		283/2/3/2	0.018
18		284/1	0.006
19		260/1/1/1	0.006
20		260/1/2/1	0.006
21		260/2/1/2/1	0.009
22		260/2/1/1/2	0.002
23		67/2/1	0.004
24		44,371/44/2/1/1/1	0.011
25		44,371/44/2/1/1/3	0.005
26		44,371/44/2/2/1/1E	0.007
27		75	0.004
28		62	0.001
29		64/2	0.001
30		67/1च	0.003
31		67/1PE	0.005
32		67/1/1ME	0.004
33		68/1	0.001
34		68/2	0.002
35		43	0.002
36		44,371/44/2/1/2/1	0.004
37		45/2	0.001
38		47	0.002
39		50/1	0.002
40		59	0.001
41		37/2	0.003
42		331,332,333/1	0.012
43		378/333/3/2	0.012
44		222/2,330,336,337/2	0.011
45		222/1क/1	0.009

46	223,226,379/223/2/2/2	0.002
47	215/1च	0.001
48	215/1/2क	0.003
49	215/1ग	0.015
50	215/1ख	0.005
51	215/1च	0.002
52	215/1/3च	0.003
53	219/1	0.002
54	138,345/138,365/138/1/2	0.003
55	345/138	0.002
56	365/138,138/2/3/2/2	0.006
57	24/1	0.002
58	24/2	0.004
59	26/1E	0.009
60	26/1E	0.006
61	29	0.002
62	355/6	0.004
63	5/1/1	0.001
64	5/1/2	0.001
65	5/2/1/2	0.0003
66	7/2	0.002
67	11,12/1/3	0.003
68	13/1/1	0.003
69	27	0.005
70	354/27/1	0.004
71	354/27/2	0.003
72	178/2/1/1E	0.003
73	178/2/2E	0.002
74	178/2IE	0.002
75	376/16/2	0.004
76	17/1/1	0.004
77	17/2	0.002
78	21	0.003
79	21/1/1	0.006
80	21/1/2	0.003
81	141/2	0.002
82	144/1	0.002
83	154/4	0.001
84	155	0.001
85	206/2	0.001
86	207/2	0.001
87	208/1/1/1	0.003
88	211/1/2	0.001
89	215/1,215/2/3	0.007
90	346/155/1	0.005
91	346/155/2	0.001
92	165/1/5	0.001
93	173/2/1/3	0.002
94	183/1/6	0.002

95		188,189/1/2	0.003
96		189/188/2/2	0.005
97		190	0.001
98		377/190/3	0.001
99		192/1/1	0.002
100		192/1/2	0.003
101		192/2घ	0.002
102		195/3	0.003
103		196/1/1	0.001
			0.414
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		287	0.011
2		74	0.003
3		224,225,227/3/2	0.007
4		336,222/2,330,336/3/2	0.004
5		215/1/2छ	0.002
6		217	0.016
			0.042

प्र.क. 0026/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- पिपलिया प.ह.नं. 06 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 0026/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.072 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम पिपलिया प.ह.न.06 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	78,79/2,80,/81/1/5/4	0.003
2		78,79/2,80,/81/2	0.002
3		78,79/2,80,81/3	0.004
4		88/1	0.004
5		87/1	0.002
6		88/2/1	0.002
7		79/1/4	0.001
8		84/1	0.003
9		79/1/1	0.002
10		78,79/2,80,/81/1/1	0.005
11		78,79/2,80,/81/1/2	0.002
12		78,79/2,80,/81/1/3	0.014
13		78,79/2,80,/81/1/4	0.003
14		23/2	0.003
15		21/2/1	0.002
16		102/24/1/1	0.003
17		11	0.008
18		70/1/2/2/1	0.009
			0.072 हे.

प्र.क. 27/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- **बचगांव** प.ह.नं. 06 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 27/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.359 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.003 हे

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- बचगाँव प.ह.न. 06 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	149-150/2/1/1(P)	0.001
2		149-150/2/1/2	0.007
3		149-150/1E	0.001
4		120	0.004
5		121	0.005
6		122	0.004
7		175/122	0.020
8		115/1	0.009
9		115/2	0.014
10		152/1	0.039262
11		152/3	0.001
12		152/3JE	0.002
13		60/1E	0.001
14		61,62/1	0.006
15		61,62/2	0.003
16		63/2	0.005
17		64,178/64/1	0.007
18		9/1	0.010
19		9/2	0.004
20		9/3	0.003
21		10/11/36/3	0.005
22		10,11,36/3ख/1	0.015
23		10,11,36/3ख/3/2/1	0.019
24		10,11,36/3ख/3/2/4	0.008
25		10/11/36/2/2/1	0.025
26		17/3	0.002
27		17/3/1	0.001
28		17/3/4	0.0009
29		179/16/1/4	0.030
30		15,179/16/1/1,179/16/2/1/3	0.0009
31		15,179,16/1/1,179/16/2/1,4	0.003
32		15,179/16/1/1,179/16/2/2	0.001
33		179/16/2/1/3	0.002
34		13/1	0.015
35		13/2	0.001
36		13/3/2	0.004
37		6/1क	0.006
38		6/2ग	0.005
39		6/2घ	0.010
40		16/1/1	0.004
41		179/16/1/2/1/1	0.002
42		179/16/1/2/1/2	0.0007
43		179/16/1/2/1/3	0.001
44		17/1/1/2	0.0005
45		4/2/2/1	0.005
46		4/2/2/2	0.009
47		4/2/2/3	0.001
48		16/2/1/2	0.003
49		16/3/2	0.0005
50		16/3/3	0.005
51		16/3/4	0.0003
52		1,2,170/1/1/2/6	0.006
			0.359 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-	7	0.003
		कुल	0.003 हे.

प्र.क. 28/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- धौलपुर प.ह.नं. 26 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 28/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.554 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.0009 हे.

कंमाक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक	खसरा कंमाक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम-धौलपुर प.ह.न. 26 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	247,273/4	0.001
2		318,320/3	0.001
3		304,305/4(P)	0.001
4		304,305/1/2	0.002
5		304,305/4(P)	0.001
6		306/1	0.002
7		307	0.003
8		318,320/1/2	0.003
9		295	0.001
10		309/1/क	0.002
11		309/2	0.001
12		309/3	0.001
13		279	0.007
14		316	0.003
15		365/312/1	0.001
16		318,320/1/1	0.002
17		318,320/2	0.001
18		245/1/2/2	0.008
19		275	0.002
20		276/1	0.002
21		276/2	0.002
22		278	0.004
23		242/1/2	0.004
24		369/242/1/1	0.002
25		369/242/2	0.001
26		369/242/3/2	0.001
27		228,229,230/2ख	0.006
28		228,229,230/1/2	0.005
29		228,229,230/1/3	0.004
30		228,229,230/1/5	0.003
31		228,229,230/1/6	0.002
32		43/1	0.015
33		44	0.026
34		47,48,196,197/2/2ख	0.006
35		204/2	0.002
36		204/3	0.003
37		205/1	0.002
38		205/2	0.001
39		207,208/2	0.004

40		207,208/3	0.033
41		207,208/4	0.002
42		209/1/3	0.002
43		209/2	0.001
44		220,221,222/3/3	0.002
45		220,221,222/3/4	0.003
46		224/4	0.033
47		224/5/क	0.031
48		225	0.009
49		220,221,222/2/3	0.001
50		33/2	0.001
51		213,214/1/1	0.004
52		213,214/1/2/1/1	0.001
53		213,214/1/2/1/4	0.002
54		37	0.001
55		39,40/1	0.001
56		39,40/2	0.001
57		383/39	0.001
58		41/1	0.006
59		45	0.004
60		373/45/1/2,373/45	0.026
61		46/1	0.013
62		47,48,196,197/1/1	0.023
63		47,48,196,197/1/2	0.005
64		21,22/3	0.006
65		65	0.003
66		66/2	0.001
67		16/1	0.005
68		72/1	0.001
69		10/1ख	0.004
70		13/2	0.004
71		14	0.001
72		6(P)	0.003
73		7/1	0.003
74		8	0.002
75		9/341/9/2D	0.005
76		2/1,385/2/2/1	0.001
77		2/2,385/2/2/1	0.001
78		2/3,385/2/2/1	0.001
79		2/4,385/2/2/1	0.056
80		2/5,385/2/2/1	0.003
81		21,22/1	0.038
82		21,22/2	0.050
83		24,25,57/2/1	0.001
84		24,25,57/2/2	0.004
85		24,25,57/1/1/ख	0.003
86		24,25,57/1/1/क	0.004
87		29	0.002
			0.544
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		294	0.0001
2		317	0.0002
3		349/276	0.0003
4		38	0.0001
5		68	0.0002
			0.0009

प्र.क.०.०.29.../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- श्यामपुर प.ह.नं. 15 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क.०.०.29/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.545 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.184 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- श्यामपुर प.ह.न.15 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	535/1	0.009
2		535/5	0.002
3		535/2क/2	0.000
4		535/2क/1	0.004
5		444/1/2क,526/1/2ख	0.004
6		444/1/1 ग,526/1/1ग	0.001
7		540	0.001
8		498/1/2	0.001
9		498/1/1(P)	0.002
10		497/1/2	0.001
11		499/1/2	0.003
12		499/2/3/2	0.003
13		499/2/1	0.002
14		503/1/2	0.002
15		503/1/4	0.010
16		501,503/2,582/503/1	0.014
17		478/2,506,507/2/2	0.009
18		478/2,506,507/2/3	0.002
19		507	0.000
20		508	0.002
21		514	0.002
22		442/1	0.004
23		156	0.000
24		490	0.001
25		490/2/1/2	0.003
26		490/2/2	0.004
27		491/2(P)	0.004
28		492	0.005
29		479/1	0.002
30		479/2क	0.004
31		479/2/ख	0.000
32		475,476,477,480/2/1/ G/1	0.005
33		475,476,477,480/2/1/ G/2	0.014
34		475,476,477,480/2/1/ G/3	0.002

35	475,476,477,480/2/1/ G/4	0.001
36	468/469/3	0.001
37	467/1	0.002
38	478/2,506,507/1/1ख (P)	0.002
39	478/2,506,507/1/1क(P)	0.012
40	457/2	0.008
41	593/375	0.000
42	36	0.008
43	153,590/154/2/1/1	0.001
44	153,590/154/3	0.002
45	154/3	0.001
46	475,476,477,480/1/2/ 2	0.012
47	475,476,477,480/1/2/ 1	0.006
48	475,476,477,480/1/1 ख /1/3	0.001
49	475,476,477,480/1/1 ख 1/2	0.007
50	406,407,408,409/2/4	0.007
51	470	0.002
52	472/2	0.002
53	475,476,477,480/2/2	0.004
54	375	0.000
55	376/2	0.004
56	414,415,416,417/1/1	0.002
57	412	0.003
58	589/388	0.002
59	391	0.002
60	381	0.001
61	366/1/1	0.001
62	383	0.001
63	152/1	0.001
64	153,590/154/2	0.002
65	153,590/154/1/1/1	0.002
66	153,590/154/1/1/2	0.009
67	158(P)	0.006
68	483/1/3	0.022
69	484/4	0.001
70	489(P)	0.009
71	484/2	0.011
72	406,407,408,409(P)	0.009

73	402/1/2	0.003
74	404 & 405	0.003
75	390,2	0.003
76	354/2	0.002
77	142/2	0.002
78	143	0.001
79	164/2	0.003
80	167/2/5	0.000
81	158(P)	0.007
82	161	0.011
83	162/1,487/1	0.006
84	209	0.004
85	210,211,213/1/2	0.002
86	210,211,213/1/3	0.002
87	210,211,213/2	0.003
88	136/1	0.001
89	136/2	0.003
90	123/1/1	0.008
91	168,169/2/क/1	0.003
92	168,169/2/ख/1	0.001
93	171	0.006
94	173	0.011
95	175	0.003
96	81/1/1	0.002
97	190,601/190	0.002
98	127/1	0.001
99	79,82,83/4 ख	0.011
100	79,82,83/5/1क	0.006
101	79,82,83/5/1ख	0.002
102	79,82,83/5/1ग	0.004
103	115/2/क	0.005
104	115/2/ख/1	0.005
105	116	0.003
106	122/2	0.002
107	122/3	0.007
108	79,82,83/1/2/5	0.002
109	79,82,83/3क	0.005
110	79,82,83/3क/2	0.003
111	80/1/3	0.006
112	80/2/क/1	0.004
113	179/1	0.003
114	179/2	0.003
115	186,187/1	0.003

116		105/4	0.004
117		598/104/3	0.002
118		93	0.001
119		94-95	0.004
120		605/96	0.003
121		84/1/1	0.007
122		84/1/2	0.002
123		79,82,83/2/1	0.013
124		85/4	0.006
125		568/111	0.002
126		79/1/2/2, 82,83	0.007
127		75/77/1	0.001
128		75/77/3	0.002
129		76/1/1	0.001
130		72	0.005
131		38/2/2	0.001
132		29,30/1,30/2ख	0.002
133		29,30/1,30/2	0.002
134		38/2/3	0.003
135		40/3	0.001
136		42/1	0.001
137		43/2	0.003
138		43/3	0.004
139		44/2	0.002
140		44/3	0.002
141		44/4	0.003
142		34/1	0.001
143		33/3,39/3	0.004
144		34/2	0.002
145		34/3/2	0.001
146		34/4	0.002
147		29/1/1/1,30/1/1/1/1, 30/2/1/1/1	0.003
148		29/2क,30/1/2क,30/2 क	0.000
149		30/1	0.001
150		30/2	0.002
151		44/1	0.001
152		25/2	0.003
153		17	0.005
154		48/1क	0.003
155		50	0.001
			0.566

	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		545(P)	0.000
2		499/1/1/2	0.000
3		499/2/2/2/1	0.000
4		149	0.000
5		165	0.000
6		160/1/2	0.001
7		570/163/ख/2	0.001
8		168,169/2/क/2	0.001
9		172	0.005
10		114/1/2	0.004
11		115/2/ख/2	0.000
12		119	0.001
13		181(P)	0.000
14		183	0.003
15		76/2	0.002
16		75/77/2	0.003
17		41	0.000
18		33/2,39/2	0.001
19		21	0.000
20		27	0.014
			0.036

प्र.क. 0030.../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- निमोटा प.ह.नं. 34 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 0030.../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.427 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.016 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- निमोटा प.ह.न.34 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	304/239/1	0.005
2		240	0.003
3		249	0.007
4		228/1	0.002
5		229/1	0.003
6		198/1/1क	0.001
7		198/1/1ख	0.001
8		199/1/1	0.003
9		215,217,216,219,27 7/216,305/277/216/1 /1/1	0.004
10		215,216,217,218,21 9,277,216/305,277,2 16/1/2	0.001
11		215,216,217,218,21 9,277,216,305/277/2 16/2/1/क	0.003
12		215,216,217,218,21 9,277/216,305,277/2 16/2/2/2	0.002
13		211/1/1/2/3.212/1,35 6/212	0.004
14		211/1/2.212/1.212/2. 256/212	0.001
15		211/1/3.212/1.212/2. 256	0.006
16		211/2/1/K.212/1.212/ 2.256/212	0.009
17		211/2/1/G.212/1.212/ 2.256/212	0.001
18		213,214,1/2	0.004
19		213,214,1/3	0.003
20		211/1/1.212/1,213/2. 256/212	0.005
21		28,36,37/2/2	0.012
22		28,36,37/3(P)	0.003
23		39/1	0.005
24		39/2	0.002
25		28,36,37/1/1	0.014

26	28,36,37/2/1	0.024
27	295/30/1	0.002
28	32/1/3(P)	0.003
29	23,24,26/2	0.006
30	22	0.004
31	23,24,26/1	0.001
32	35/2	0.004
33	35/3	0.009
34	18/1/1/1.19,20/1,20/ 2	0.044
35	262/20	0.002
36	12/76/1/2/3	0.017
37	268/46	0.007
38	191	0.004
39	196/1	0.015
40	196/2	0.012
41	200.272/200	0.006
42	144	0.0005
43	155/1/2	0.004
44	184,185,186/2/1	0.003
45	184,185,186/2/2	0.004
46	236,275,235/2/3/1.2 44/1.245/1.245/2.24 6,275,235	0.009
47	176/2/4.177/2,304/1 76	0.001
48	176/3,177/2,304/176	0.004
49	183/1	0.003
50	184,185,186/1/1/1	0.002
51	170,171,172,173/1/1 /1	0.008
52	170,171,172,173/1/1 /2(P)	0.002
53	170,171,172,173/1/2 /1	0.003
54	159/1	0.004
55	298/160/1	0.005
56	161/1/1	0.001
57	168/1/2	0.002
58	169	0.003
59	152	0.002
60	155/1/1(P)	0.008
61	156,157/3	0.005
62	156,157/4	0.009
63	156,157/5	0.003

64		145/1	0.005
65		163/1	0.009
66		164	0.003
67		1/1/2/2/1/1/42	0.003
68		1/1/2/2/2/4	0.005
69		150/2	0.002
70		1/1/2/2/1/1/10	0.002
71		9	0.011
72		293/9	0.005
73		1/1/2/2/1/1/12	0.007
74		2/1/2	0.010
75		2/2/2	0.001
76		3,4,6/2	0.008
77		5	0.003
78		2/1/1/क	0.001
79		2/1/1/ख	0.002
			0.427 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		230	0.000
2		294/42	0.006
3		265/42	0.001
4		192	0.000
5		202	0.008
6		11	0.0004
			0.016 हे.

प्र.क.००३१/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गोपालपुर प.ह.नं. 19 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क.००३१/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.552 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.021 हे.

क्रमांक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम गोपालपुर प.ह.न.19 तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर	254,256/1	0.002
2		254,256/2	0.003
3		253,258/1/1/ख	0.002
4		255	0.004
5		123	0.002
6		271	0.002
7		126	0.004
8		87,86/1	0.006
9		89/1/4क,92/1/4क,93/1/4क,290/9 3/1/4क	0.006
10		196	0.003
11		190/1,193/1	0.026
12		298/197	0.009
13		190/1/6,193/1/6	0.016
14		122,261,262	0.030
15		243/1/1/2ख	0.004
16		243/1/2/1क	0.007
17		132/1,132/3,133	0.022
18		106/3,310/105/1/3(P)	0.017
19		248/1ख	0.002
20		244/1	0.003
21		252/2,252/1/1/1/4	0.005
22		132/2	0.013
23		316/132/1/4,131/1,132/3,133	0.008
24		252/1/1/2,252/2	0.010
25		113,116,117,118,125 /1,292/114/1(P)	0.008
26		115,116,117,118/3, 125/3,292/114/3(P)	0.015
27		128/1/2(P)	0.003
28		105/1/1,106/1,310/105/1/1	0.015
29		310/105/2	0.008
30		105/1/2,106/1/2,310/105/1/2	0.027
31		110/2	0.001
32		110/3	0.004
33		317/112/1	0.004
34		93,264,266,287,290/92/1/2G(P)	0.002
35		97/1	0.003
36		103/2	0.001
37		84/1/1/1,96/1/1/1	0.003
38		98/2,101/2(P)	0.002
39		24,25,27/2,195	0.022
40		62	0.001
41		33/1/2,34/1/2,315/29/1/2/1	0.003
42		288/32/1	0.002
43		61/1क	0.001
44		59	0.0004

45		60	0.001
46		308/36/1,35/1,36/1	0.012
47		35/2,36/2,308/36/1/2	0.010
48		53/2,55/2,56,57	0.003
49		53/1/1	0.002
50		55/1	0.002
51		55/2	0.002
52		64/1/1/1ख (P)	0.001
53		53/1/1/2,54/2,53/2/2,55/2/2, 56/2,57/2	0.003
54		53/1,53/2,54,55,	0.001
55		64/1K/3	0.002
56		43/1	0.028
57		45(P)	0.003
58		49,50	0.044
59		15/2,20/2,19/2,16/2,202/2,203/2	0.003
60		15/4,20/4,202/4,203/4,205/4,20 7/4	0.005
61		22	0.025
62		15/1,203/1,204/1,206/1,205/1,2 07/1	0.010
63		5/2/2	0.009
64		6/2	0.007
65		8/2	0.017
66		89/2/1,92/2/1,93/2/1,	0.003
67		89/1/8,92/1/8,93/1/8,264/1/8,26 6/1/8,287/120/1/8,290/92/1/8	0.002
68		89/1/7,92/1/7,93/1/7,264/1/7,26 6/1/7,287/120/1/7,290/92/1/7	0.004
69		9,17/1	0.008
70		91/2	0.003
71		68,69,71/2/1/3	0.001
			0.552 हे.
	म.प्र. भासन की भूमि का योग-		
1		256	0.001
2		111/1	0.001
3		48/1	0.005
4		263	0.010
5		263/1	0.009
6		132/3,133,316/132/2/2	0.005
			0.021 हे.

प्र.क.५२३२/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- सरसोदिया प.ह.नं. 07 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क.५२३२/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.152 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.0 हे.

कंमाक	ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक	खसरा कंमाक	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	5
1	ग्राम- सरसोदिया प.ह.न.07 तहसील-नसरुल्लागंज जिला- सीहोर	48	0.011
2		62/2/1/1/1/75/2/1/1/1/.76/2/1 /1/1/90/62/2/2/1/1/1	0.015
3		38/1	0.007
4		42/2	0.001
5		42/3	0.0009
6		44/1	0.011
7		45	0.010
8		42/1	0.001
9		10/2	0.025
10		11/5/1.12.5/1.20/5/1.	0.005
11		13/1/2	0.014
12		13/2/1/1	0.020
13		13/2/1/2	0.007
14		13/2/2	0.013
15		3/2	0.001
16		4/1	0.003
			0.152 हे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश सिंह तोमर,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 01-अ-82-2019-20

नरसिंहपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2021

प्ररूप-V

[नियम 10 देखें]

धारा 19(1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम इमलिया तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 0.745 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.745 हेक्टेयर है जो ग्राम इमलिया तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ			
						उ.	द.	पू.	प.
1.	22/3 2/2/1	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.031	वेदिका पुत्री अशोक कौरव	पिपरिया बायपास मार्ग	रेल्वे की भूमि	आशुतोष वल्द अशोक कौरव	स्वयं की भूमि
2.	22/3 2/2/2	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.031	आशुतोष वल्द अशोक कौरव	पिपरिया बायपास मार्ग	रेल्वे की भूमि	श्रीमति शैलेश पत्नि	वेदिका पुत्री अशोक कौरव
3.	22/3 2/2/3	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	श्रीमति शैलेश पत्नि अशोक कौरव	पिपरिया बायपास मार्ग	रेल्वे की भूमि	अशोक वल्द हरगोविंद कौरव	आशुतोष वल्द अशोक कौरव

4.	22/3 2/2/4	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	अशोक वल्द हरगोविंद कौरव	पिपरिया बायपास मार्ग	रेल्वे की भूमि	भानूप्रता प सिंह आ. हरगोविंद सिंह कौरव	श्रीमति शैलेश पत्नि
5.	22/3 2/2/5	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	भानूप्रताप सिंह आ. हरगोविंद सिंह कौरव	पिपरिया बायपास मार्ग	रेल्वे की भूमि	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	अशोक वल्द हरगोविंद कौरव
6.	44/1 क/1 45/1 क/1	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	अशोक कुमार, पिता हरगोविंद कौरव	आशुतोष वल्द अशोक कौरव	श्रीमति हेमलता पत्नि भानूप्रता प सिंह	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
7.	44/1 क/2 45/1 क/2	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	श्रीमति शैलेश पत्नि अशोक कौरव	रेल्वे एवं राजू उर्फ राजकुमा र बगैरह	आशुतोष वल्द अशोक कौरव	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
8.	44/1 क/3 45/1 क/3	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	आशुतोष वल्द अशोक कौरव	श्रीमति शैलेश पत्नि अशोक कौरव	अशोक कुमार, पिता हरगोविंद कौरव	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
9.	44/1 क/5 45/1 क/5	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	भानुप्रताप सिंह वल्द हरगोविंद सिंह कौरव	श्रीमति हेमलता पत्नि भानूप्रता प सिंह	शौर्य प्रताप सिंह वल्द वलि भानुप्रता प सिंह कौरव	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
10.	44/1 क/6 45/1 क/6	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	श्रीमति हेमलता पत्नि भानुप्रताप सिंह	अशोक कुमार, पिता हरगोविंद कौरव	भानुप्रता प सिंह वल्द हरगोविंद सिंह	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि

11.	44/1 क/8 45/1 क/8	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	शौर्य प्रताप सिंह वल्द वलि भानुप्रताप सिंह कौरव	भानुप्रता प सिंह वल्द हरगोविंद सिंह कौरव	श्रीमति प्रतिभा पत्नि सुशील कौरव	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
12.	44/1 क/9 45/1 क/9	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	तन्मय वल्द वली सुशील कौरव	श्रीमति प्रतिभा पत्नि सुशील कौरव	सुशील वल्द हरगोविंद कौरव	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
13.	44/1 क/10 45/1 क/10	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.050	श्रीमति प्रतिभा पत्नि सुशील कौरव	शौर्य प्रताप सिंह वल्द वलि भानुप्रता प सिंह कौरव	तन्मय वल्द वली सुशील कौरव	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
14.	44/1 क/11 45/1 क/11	भूमि स्वामी	व्यवसायिक	0.040	सुशील वल्द हरगोविंद कौरव	तन्मय वल्द वली सुशील कौरव	लालजी वल्द जगन्ना थ प्रसाद कौरव	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	स्वयं की भूमि
15.	44/1 ख	भूमि स्वामी	तीन कच्चे मकान (1) 53.04 वर्गमी (2) 39.005 वर्गमी. (3) 32.48 वर्ग मी. शेष भूमि	0.093	राजू उर्फ राजकुमार, सुनील कुमार उर्फ मुन्ना पिता रमेश पारासर सा. गाडरवारा	रेल्वे की भूमि	अशोक कुमार भानु प्रसाद वगैरह	गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग	रेल्वे एवं अशोक, भानुप्रता प बगैरह

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. चूंकि रेल ओवर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

रोहित सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. एफ-2-2-2020-सात-7.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 114-क सहपठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 7 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमिस्वामी को भू-अधिकार पुस्तिका संदाय करने की फीस उसके प्रथम पृष्ठ के लिए रुपया तीस एवं अतिरिक्त पृष्ठों के लिए प्रति पृष्ठ रुपया पंद्रह नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. एफ-2-2-2020-सात-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-2-2020-सात-7, दिनांक 24 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 24th November 2021

No. F-02-02-2020-VII-7.- In exercise the powers conferred by Section 114-A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with Rule 7 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the State Government, hereby, fix the fee for supply of the Bhu-Adhikar Pustika at the rate of rupees Thirty for its first page and rupees fifteen for every additional page, to the Bhumiswami.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर

क्र. रा-प्र-क्र. 1-अ-82-2021-22

जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नई तहसील- जबलपुर , जिला - जबलपुर से ग्राम डुंगरिया तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	डुंगरिया, प.ह.न.-65	9	0.001
			49	0.006
			79	0.010
			134	0.000
			266	0.001
			380	0.000
			418	0.001
			456	0.003
			657	0.001
			714	0.000
			757	0.001

			801	0.001
			110/987	0.001
			110/987	0.001
			115/1	0.005
			115/1	0.001
			115/2	0.002
			117	0.004
			119	0.002
			121	0.001
			122/2	0.005
			135	0.005
			149	0.004
			151	0.005
			157	0.003
			158	0.001
			158	0.002
			164	0.005
			23	0.002
			231/1	0.004
			232	0.005
			24	0.004
			25/1	0.001
			253	0.003
			254	0.005
			265	0.005
			27/1	0.003
			27/2	0.007
			28/3	0.003
			280/2	0.003
			294	0.002
			295	0.005
			296	0.001
			297	0.002
			321	0.004

		331	0.007
		334	0.003
		339	0.012
		34	0.005
		341	0.000
		343	0.002
		35	0.006
		35	0.000
		356	0.003
		364/1	0.003
		364/2	0.006
		369	0.003
		37/1	0.002
		371/1	0.002
		374	0.004
		381/1	0.003
		381/2	0.002
		383/1	0.003
		383/1	0.001
		383/2	0.002
		385	0.001
		403/2	0.003
		404/1/1	0.002
		404/1/2	0.002
		405/1	0.004
		414	0.003
		426	0.004
		428	0.002
		432/1	0.003
		433	0.004
		438	0.004
		449/2	0.006
		450	0.003
		451	0.003

		452	0.005
		452	0.002
		452	0.004
		457	0.005
		458	0.003
		47	0.001
		48	0.001
		482/2	0.002
		483/2	0.005
		484	0.002
		485	0.001
		503	0.006
		506/2	0.002
		58	0.009
		595	0.002
		60	0.006
		60	0.007
		603	0.004
		606	0.005
		607/988	0.000
		610	0.002
		617	0.001
		618	0.003
		62/1	0.005
		62/2	0.004
		624/1	0.008
		626/1	0.010
		629	0.004
		630	0.002
		630	0.000
		636	0.003
		637/1	0.006
		637/2	0.007
		638	0.004

			654	0.004
			656/2	0.002
			661/1/1	0.001
			661/1/1	0.000
			661/1/2	0.002
			662	0.002
			662	0.001
			662	0.001
			675	0.001
			678	0.004
			679/1	0.003
			680	0.004
			694	0.001
			696	0.008
			696	0.000
			70\2	0.002
			704	0.011
			705	0.004
			73	0.001
			744	0.007
			744	0.005
			744	0.001
			746/2	0.004
			746/4	0.004
			75/1	0.003
			750	0.009
			751/2	0.003
			756	0.005
			758/2	0.002
			758/3	0.002
			759/1	0.006
			77\2	0.003
			771/2	0.003
			771/3	0.003

			772/1	0.002
			772/1	0.004
			772/3	0.003
			772/3	0.002
			773/1	0.003
			773/1	0.000
			773/2	0.006
			774/1	0.003
			774/1	0.006
			774/1	0.004
			774/2	0.001
			774/3	0.000
			78/1	0.000
			78/1	0.005
			781	0.005
			782	0.002
			791/1	0.007
			793	0.003
			794	0.002
			795/1	0.002
			795/3	0.003
			797/1	0.002
			797/2	0.001
			797/2	0.004
			797/2	0.002
			797/3	0.005
			797/4	0.003
			798/2	0.004
			808	0.002
			809	0.002
			81/2	0.001
			81/2	0.003
			81/2	0.007
			81\1	0.002

			810	0.001
			814/1	0.001
			814/2	0.002
			815	0.002
			817	0.001
			82\1	0.001
			820/1	0.005
			820/2	0.001
			821/1	0.006
			835	0.001
			836/1/1	0.003
			837/1/1	0.002
			84/1	0.002
			86	0.008
			87/1	0.001
			88	0.000
			93\992\2	0.000
			951	0.001
			96/1	0.005
			97	0.004
			98/1	0.002
			98/2	0.005
			98/2	0.002
			98/3	0.002
			98/3	0.003

क्र. रा-प्र-क्र. 2-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्बहन सिंचाई योजना से खापागवारी ग्राम नरई तहसील- जबलपुर , जिला - जबलपुर से ग्राम परसिया तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	परसिया ,प.ह.न.-64	5/1	0.002
			5/2	0.004
			34	0.001
			33	0.005
			29	0.005
			7	0.003
			31	0.004
			30/2	0.004
			30/1	0.001
			28	0.002
			40	0.004
			42	0.005
			48	0.001
			43	0.005
			44	0.002
			83	0.003
			77	0.004
			76	0.004
			19	0.001
			47	0.011
			100	0.001
			72	0.001
			53	0.003
			54	0.005
			57	0.003
			56	0.000
			59	0.002
				0.002

क्र. रा-प्र-क्र. 3-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्बहन सिंचाई योजना से खापागवारी ग्राम नई तहसील- जबलपुर, जिला - जबलपुर से ग्राम सोहड़ तहसील-जबलपुर, जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलम अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	सोहड़, प.ह.न.-67	2	0.004
			3/1	0.002
			4	0.005
			11	0.010
			13\1	0.006
				0.003
			5\1	0.004
			5\2	0.003
			11	0.005
			19	0.006
			23	0.007
			36	0.002
			35	0.002
			42	0.004
			45	0.000
			44	0.005
			48/1	0.007
			48/2	0.000
			49	0.001
			50	0.006
			60	0.003
			247	0.001
			59	0.003
			58	0.001
			249	0.005
			251/1	0.003
			252	0.000

क्र. रा-प्र-क्र. 4-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्बहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नरई तहसील- जबलपुर , जिला – जबलपुर से ग्राम नरई तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	नरई, प.ह.न.-64	73/2	0.002
			75	0.002
			79	0.003
			80	0.002
			85	0.005
			87/4	0.004
			87/5	0.004

क्र. रा-प्र-क्र. 5-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्बहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नरई तहसील- जबलपुर , जिला – जबलपुर से ग्राम खापाग्वारी तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	खापाग्वारी , प.ह.न.-66	493	0.006
			492	0.008
			491/1	0.006
			491/2	0.006

क्र. रा-प्र-क्र. 6-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्बहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नरई तहसील- जबलपुर , जिला – जबलपुर से ग्राम बरबटी तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	बरबटी ,प.ह.न.-63	34/1	0.003
			186	0.00
			188/1	0.002
			211/2	0.004
			43	0.005
			31/2	0.001
			46	0.004
			90	0.000
			21/2	0.006
			70	0.006

			214	0.014
			57	0.005
			57	0.001
			1	0.003
			211/1	0.002
			189/1	0.002
			26	0.001
			11	0.005
			278	0.002
			75	0.002
			79	0.003
			68/2	0.005
			34/3	0.006
			72	0.002
			22	0.004
			44	0.008
			264/1	0.004
			89	0.003
			64	0.001
			59	0.008
				0.002
			16	0.004
				0.003
			24/1	0.006
			23	0.000
			179	0.001
			178/2	0.004
			37	0.008
			69	0.006
			247	0.003
			91	0.001
				0.004
			212	0.003
			61	0.006

			265/1	0.005
			264/2	0.000
			277	0.001
			279	0.002
			286/1	0.002
			254/1	0.002
			188/2	0.002
			80/1	0.012
				0.006
			71	0.007
				0.002
			74	0.002
				0.008
			12	0.005
				0.011
			2	0.004

क्र. रा-प्र-क्र. 7-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाम्बारी ग्राम नरई तहसील- जबलपुर , जिला -ग्राम जबलपुर से सरई तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	सरई, प.ह.न.-64	29	0.003
			33/1	0.004
			33/2	0.004
			57	0.003
			58	0.001
			53/1	0.005
			52/3	0.003
			52/4	0.002
			42/1	0.002
			42/2	0.003
			94	0.001
			95/1	0.003
			96/3	0.001
			95/3	0.003

			71	0.003
			220/1	0.003
			220/2/2	0.002
			220/2/3	0.001
			236	0.001
			237	0.002
			239	0.002
			240	0.002
			246	0.001
			247	0.004
			245	0.003
			249	0.002
			248	0.005
			254	0.003
			259	0.004
			258	0.006
			203/7	0.002
			203/5	0.001
			203/4	0.001
			203/3	0.001
			203/2	0.001
			204	0.003

क्र. रा-प्र-क्र. 8-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्बहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नरई तहसील- जबलपुर , जिला – जबलपुर से ग्राम पडरिया तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जबलपुर	जबलपुर	पडरिया ,प.ह.न.-63	40/1	0.005
			40/2	0.002
			50	0.004
			56	0.001
			55	0.002
			46	0.007
			68	0.003
				0.002
				0.004
			52/3	0.008
			266	0.005
			53	0.007
			67	0.003

			66/2	0.002
			64	0.002
			61	0.001
			77	0.014
			78/1	0.011
				0.005
			78/2	0.000
			79	0.006
			90	0.013
			88	0.001
			89	0.004
			282/2	0.003
			273	0.005
			274	0.002
			272/1	0.003
			272/2	0.002
			261	0.005
			259	0.001
			262	0.002
			258/1	0.004
			71/1/1	0.002
			71/1/2	0.002
			71/5	0.001
			71/6	0.005
			71/7	0.003
			73/1	0.004
			283/1	0.005
			284/2	0.005
			286	0.004
			285	0.004
			245	0.011
			246	0.006
			247/1	0.001
			215/1	0.001
			247/2	0.007
			216	0.004

		217	0.001
		219/2	0.003
		218	0.001
		220	0.001
		228/2	0.002
		229	0.005
		230	0.003
		204	0.008
		84	0.018
		85/1	0.003
		86	0.003
		87	0.006
			0.002
			0.006
		297	0.004
		301/1	0.004
		301/2	0.003
		169/3	0.003
		172/1	0.005
		172/2	0.007
		172/3	0.006
		181/2	0.003
			0.006
		302/1	0.001
		302/2	0.004
		167/1	0.004
		166	0.001
		173	0.006
		180/1	0.003
		179	0.004
		139/2	0.002
		107/2	0.003
		108/1	0.004
		108/2	0.004
		111	0.003
		112	0.005
		113	0.008
			0.002
			0.001
		114	0.005
		95	0.003
		93	0.006
		94	0.005
		163/2	0.001
		162/1	0.004
		159/1	0.001
		150	0.006
		139/1	0.003
		149/1	0.003
		141	0.004
			0.001
		142/2	0.007
		137	0.002

पी. के. सेन गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).